प्रेषक.

मनोज कुगार, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

कुलसचिव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग—1 लखनऊ : दिनांक :्र्य्यारत, 2021 विषय:— महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कुलसचिव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के पत्र दिनांक 19–7–2021 द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी परिनियमावली को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 34 की उपधारा (2) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–1020/सत्तर–1–2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 द्वारा राज्य सरकार का सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था।

2— उक्त के क्रम में पुनर्विचार कर कुलसचिव, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा परिनियमावली का संशोधित आलेख्य पत्र दिनांक 02—08—2021 द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु

3— परीक्षणोपरान्त प्रथम परिनियमावली पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या—1020 / सत्तर—1—2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 को अवक्रमित करते हुये कुलसचिव के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02—08—2021 द्वारा प्राप्त महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विश्वविद्यालय से अपेक्षित है कि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों का प्रख्यापन कर शासन के

अभिलेखार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें।


(मनीज कुमार) विशेष सचिव

संख्या-1 088 (1) / सत्तर-1-2021-तद्दिनांक

- 1- कुलाधिपति, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर।
- 2- कुलपति, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम जन्म चौहान) अनु सचिव



महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर

MAHAYOGI GORAKHNATH UNIVERSITY GORAKHPUR



प्रथम परिनियम FIRST STATUTE

आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर — 273007 उत्तर प्रदेश, भारत

AROGYA DHAM BALAPAR ROAD SONBARSA, GORAKHPUR-273007 (U.P.)

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर आरोग्यधाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर – 273007 उत्तर प्रदेश, भारत प्रथम परिनियम

अनुक्रम

MAHAYOGI GORAKHNATH UNIVERSITY GORAKHPUR

Arogya dham, Balapar Road, Sonbarsa, Gorakhpur-273007 Uttar Pradesh, Bharat

FIRST STATUTE

INDEX

	पृष्ठ :			Page No	
	आमुख	2		Preamble	
अध्याय – 1	प्राक्कथन	2	Chapter-1	Preliminary	
अध्याय – 2	अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य	6	Chapter-2	Appointments, Powers and Functions of the Officers 7	
अध्याय – 3	विश्वविद्यालय के निकाय	26	Chapter-3	Authorities of the University	
अध्याय – 4	विश्वविद्यालय के शिक्षक	52	Chapter-4	Teachers of the University	
अध्याय – 5	विश्वविद्यालय के कर्मचारी	58	Chapter-5	Employees of the University	
अध्याय – 6	संकाय एवं विभाग	64	Chapter-6	Faculties and Departments	
अध्याय – 7	अन्य प्राधिकारी और निकाय	64	Chapter-7	Other Authorities and Bodies of the University 65	
अध्याय – 8	डिग्री तथा डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना	68	Chapter-8	Conferment and Withdrawal of Degrees and Diplomas 69	
अध्याय – 9	अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्यवाही	70	Chapter-9	Discipline and Disciplinary Action71	
अध्याय – 10) दीक्षान्त समारोह	72	Chapter-10	Convocation	
अध्याय – 11	अन्य प्रावधान	74	Chapter-11	Other Provisions	

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर

आरोग्य धाम, बालापार रोड, सोनबरसा, गोरखपुर — 273007 उत्तर प्रदेश, भारत

प्रथम परिनियम आमुख

उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग—1 के अधिसूचना संख्या 745/सत्तर—1—2021—20(28)/2020 दिनांक 09 जून, 2021 के द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2021) यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) के माध्यम से गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, श्री गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना हुई।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर को चलाने की अनुज्ञा प्रदान की।

महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश संख्या 12.04.2021, सन् 2021) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची—2 में क्रमांक 30 पर सम्मिलित किया गया तथा संचालन प्राधिकार पत्र संख्या — 3/30/2021 के द्वारा संचालन की अनुमित प्राप्त हुई।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 25(4)(तीन) एवं धारा 34(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर की कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम मूल रूप से हिन्दी में बनाया गया। परिनियम का अंग्रेजी अनुवाद भी साथ—साथ संलग्न रहेगा।

अध्याय – 1 प्राक्कथन

- **1.01 (क)** यह परिनियम 'महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रथम परिनियम 2021' कहा जायेगा।
 - (ख) यह परिनियम उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

MAHAYOGI GORAKHNATH UNIVERSITY GORAKHPUR

Arogya Dham, Balapar Road, Sonbarsa, Gorakhpur-273007 Uttar Pradesh, Bharat

FIRST STATUTE

PREAMBLE

In pursuance of Uttar Pradesh Shasan, Ucch Shiksha Anubhag-1 Notification No. 745/70-1-2021-20(28)/2020 dated 09 June, 2021, Uttar Pradesh Private University (Amendment) ordinance 2021 (Uttar Pradesh ordinance no. 4 year 2021) as amended, Uttar Pradesh Private University Act 2019 (Uttar Pradesh Act No. 12 year 2019), sponsored by Guru Gorakshnath Chikitsalaya, Shri Gorakhnath Mandir Parisar, Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh, Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur is established.

In exercise of the powers given under Uttar Pradesh Private University Act 2019, sub section 1 of section 7, Hon'ble Governer of Uttar Pradesh was pleased to grant permission to operate the University named Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur.

Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur is enlisted at sr. no. 30 of schedule 2 of the Uttar Pradesh Private University Act 2019 by the Uttar Pradesh Private University (amendement) ordinance, 2019 (ordinance no. 12.04.2021 year 2021) and permission to operate was granted vide authority letter no. - 3/30/2021.

In exercise of the powers given under Uttar Pradesh Private University Act 2019 section 25(4)(III) and section 34, the first Statutes has been made by the Executive Council of Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur originally in Hindi. English translation of Statutes is attached herewith.

CHAPTER - 1 PRELIMINARY

- **1.01.** (a) These Statutes may be called the 'Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur First Statutes 2021'.
 - (b) They shall come into force as and when approved by Govt. of Uttar Pradesh.

- **1.02** (क) विश्वविद्यालय की परिनियमावली तथा प्रायोजक निकाय के नियम एवं संकल्पों के मध्य किसी भी विसंगति के मामले में प्रायोजक निकाय के नियमों एवं संकल्पों तथा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 को वरीयता दी जायेगी।
 - (ख) शिक्षक एवं कर्मचारियों की योग्यता, वेतनमान एवं अधिवर्षिता आयु परिनियम के अनुसार निर्धारित होगी।
- 1.03 (क) इस परिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (i) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019: से है।
 - (ii) "धारा" का तात्पर्य परिनियम की धारा से है।
 - (iii) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य "महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर" से है।
 - (iv) "प्रायोजक निकाय" का तात्पर्य "गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखनाथ, गोरखपुर" से है।
 - (v) अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति, जो परिनियम में परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।
- **1.04 (क)** कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कार्यपरिषद और विद्यापरिषद के तत्समय विश्वविद्यालय में इस रूप में पद धारण करने वाले सदस्य, उस विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।
 - (ख) विश्वविद्यालय की एक सामान्य सील होगी, जो विश्वविद्यालय कार्यों के लिए होगा। इस सील की डिजाइन आदि का अनुमोदन कार्यपरिषद द्वारा किया जायेगा।
 - (ग) विश्वविद्यालय अपना ध्वज, कुलगीत, बोधवाक्य इत्यादि आवश्यक प्रतीकात्मक या रेखाचित्रीय (ग्राफिक्स) अभिव्यक्तियों को समय—समय पर तैयार एवं प्रयोग करेगा।
 - (घ) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और वह अपने नाम से वाद को लायेगा और उसके नाम पर वाद लाया जायेगा।
 - (ड) विश्वविद्यालय के कुलसचिव या अन्य अधिकारी कोई विधिक सत्ता नहीं हैं और इसलिए वे वाद चलाने के हकदार नहीं हैं एवं उन पर वाद नहीं चलाया जा सकता। यदि नियम द्वारा या अन्य प्रकार से कुलसचिव प्राधिकृत हों तो वह विश्वविद्यालय की ओर से अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हो सकता है। लेकिन वह कुलसचिव के रूप में वाद नहीं चला सकता और न ही उस पर वाद चलाया जा सकता है।

- **1.02.** (a) In case of any inconsistency between Statute of the University and rules and resolutions of the Sponsoring Body the rules and resolutions of the Sponsoring Body and Private University Act, 2019 shall have precedence.
 - (b) Qualifictions, the Scales of Pay and the Age of Superannuation of Teachers and Staff in relation to the Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur shall be in accordance with the statutes.
- 1.03. (a) In these Statutes, unless the context otherwise requires -
 - (i) 'Act' means the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.
 - (ii) 'Clause' means a clause of the Statutes in which that expression occurs.
 - (iii) 'University' means the Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur.
 - (iv) 'Sponsoring Body' means Shri Guru Gorakshnath Chikitsalaya, Gorakhnath Mandir Parisar, Gorakhnath, Gorakhpur.
 - (v) Words and expression used in the Act but not defined in these statutes shall have the meaning assigned to them in the Act.
- **1.04.** (a) The Chancellor, the Vice-Chancellor and the members of the Executive Council, and the Academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of the University.
 - (b) The University shall have a common seal to be used for the purposes of the University and the design of the seal shall be as approved by the Executive Council.
 - (c) The University may decide to make and use such Flag, Kulgeet, Bodhvakya and other symbolic or graphic expressions, abbreviations or likewise, for such purposes as deemed necessary from time to time.
 - (d) University shall have perpetual succession and shall sue and be sued by its name.
 - (e) The Registrar and other Officers of the University are not a legal entity, therefore they are not entitled to sue or to be sued. If Registrar is authorised by rule or otherwise, he may be competent to sign the pleadings on behalf of the University, but he can not sue are be sued as Registrar.

- (च) विश्वविद्यालय वर्ग या सम्प्रदाय को ध्यान में रखे बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।
- 1.05 विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की उम्र का निर्धारण उनके / उनकी हाई स्कूल प्रमाण-पत्र या समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा के प्रमाण-पत्र से होगा। हाई स्कूल से कम शैक्षणिक योग्यता के कर्मचारियों के लिए कोई भी अन्य वैध प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
- 1.06 (क) विश्वविद्यालय का शैक्षिक पञ्चांग (अकादिमक कैलेण्डर) कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित होगा। यह राज्य सरकार एवं अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।
 - (ख) विश्वविद्यालय अपना शैक्षिक पञ्चांग (अकादिमक कैलेण्डर) प्रकाशित करेगा तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
 - (ग) अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्वविद्यालय विशेष प्रवेश प्रक्रिया और शैक्षिक पञ्चांग (अकादिमक कैलेण्डर) का समय समय पर अध्यादेशों के द्वारा निर्धारण कर उसे लागू करेगा।

अध्याय — 2 अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य

- 2.01 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:
 - (क) कुलाधिपति
 - (ख) प्रति कुलाधिपति
 - (ग) कुलपति
 - (घ) प्रति कुलपति
 - (ङ) कुलसचिव
 - (च) निदेशक / प्राचार्य
 - (छ) संकायाध्यक्ष
 - (ज) अधिष्ठाता छात्र–कल्याण
 - (झ) विभागाध्यक्ष
 - (ञ) परीक्षा नियंत्रक
 - (ट) मुख्य नियंता
 - (ठ) वित्त अधिकारी
 - (ड) अन्य अधिकारी

- (f) The University shall be open to all persons irrespective of class or creed.
- **1.05.** In these statutes, all references to the age of a teacher and other staff, shall be construed to be references to the date of birth of the teacher and other staff concerned as mentioned in his/her High-School certificate or that of any other examination recognised as equivalent thereto and for the non-matric staff any other legal document bearing date of birth will be accepted as date of birth/age proof.
- **1.06.** (a) Academic Calendar of the University shall be approved by the Executive Council and shall be in conformity with the guidelines issued by the State Government and other Regulatory Bodies from time to time.
 - (b) The University shall publish its Academic Calendar and upload it on its website.
 - (c) In case of International students, the University may follow a different admission process and Academic Calendar as may be prescribed in the Ordinances.

$\begin{tabular}{ll} CHAPTER-2\\ APPOINTMENTS, POWERS AND FUNCTIONS OF THE\\ OFFICERS \end{tabular}$

- **2.01.** The following shall be the officers of the University:-
 - (a) Chancellor
 - (b) Pro Chancellor
 - (c) Vice-Chancellor
 - (d) Pro Vice-Chancellor
 - (e) Registrar
 - (f) Director/Principal
 - (g) Deans of Faculty
 - (h) Dean of Students' Welfare
 - (i) Heads of Department
 - (j) Controller of Examinations
 - (k) Chief Proctor
 - (l) Finance Officer
 - (m) Other Officers

कुलाधिपति

- **2.02 (क)** गोरक्षपीठाधीश्वर, श्री गोरक्षपीठ, गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत, विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगें।
 - (ख) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा तथा अपने पद पर रहते हुये अन्तरिम कार्यपरिषद का गठन करेगा।
 - (ग) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के शासी निकाय की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।
 - (घ) कुलाधिपति के पास अधिनियम में किए गए प्राविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी सूचना अथवा जानकारी, अभिलेखों एवं पत्राविलयों को प्राप्त करने की शक्ति होगी।
 - (च) कुलाधिपति के पास स्वंय चेक जारी करने और भुगतान को प्राधिकृत करने का अधिकार होगा या वह इस सम्बन्ध में किसी अन्य अधिकारी अथवा वित्त अधिकारी को अपनी शक्ति सौंप सकता है।
 - (छ) कुलाधिपति नियमों एवं शर्तों के अधीन अपने विवेकाधिकार पर अपने सभी अधिकार एवं शक्ति किसी प्राधिकरण अथवा किसी अधिकारी या अधिकारियों को लिखित रूप में सौंप सकता है। कुलाधिपति को अपने उपर्युक्त आदेश को संशोधित या निरस्त करने का अधिकार होगा।
 - (ज) संविधियों में निहित होने के बावजूद कुलाधिपति विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के तहत सभी या किसी भी कार्य का निर्वहन कर सकता है या किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है, जबकि ऐसे अधिकारी विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध न हों।
 - (झ) विश्वविद्यालय हित में कुलाधिपति द्वारा लिये गये समस्त निर्णयों को विश्वविद्यालय की शासी निकाय के समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
 - (ञ) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय हित में समय—समय पर किसी अधिकारी/अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।
 - (ट) कुलाधिपति को संदर्भित किसी प्रकरण पर विचार करते समय उचित समझे जाने अथवा आवश्यकता होने पर कुलाधिपति सम्बन्धित अभिलेख अथवा सूचना विश्वविद्यालय अथवा सम्बन्धित व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है।
 - (**ठ**) कुलाधिपति द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्त किये जाने की स्थिति में कुलसचिव का यह दायित्व होगा कि वे

Chancellor

- **2.02.** (a) Gorakshpeethadheeshwar, Shri Gorakshpeeth, Gorakhnath Mandir, Gorakhpur, Uttar Pradesh, Bharat shall be the ex-officio Chancellor of the University.
 - (b) The Chancellor will be Head of the University in his position and shall form the interim Executive Council.
 - (c) The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and Convocation of the University.
 - (d) The Chancellor shall have power to call for any information or summon any document(s) from the University for the purpose of exercising his powers and functions under the Act.
 - (e) The Chancellor shall have power to himself issue Cheque and authorize payments or he may delegate his power to any other officer(s) or member(s) of the Finance Committee in this regard.
 - (f) The Chancellor may delegate, all or any of his powers to any Authority/Officer(s) at his discretion, subject to such terms and conditions especially in writing and have right to modify or recall his order of delegation of such power.
 - (g) Notwithstanding anything contained in the Statutes, the Chancellor may discharge all or any of the functions of the authorities/officers of the University for the purpose of carrying out the provisions of the Act and Statutes. In the absence of any officer/authority of the University, he may delegate their power for the purposes of carrying out the provision of the Act and the Statutes.
 - (h) Decisions taken by the Chancellor shall be placed before the Governing Body for information and necessary action by the Registrar.
 - (i) The Chancellor may be authorised to issue directions to any officer(s)/authority of the University from time to time as he may deem necessary in the interest of the university.
 - (j) The Chancellor while considering any matter referred to him may call for such documents or information from the University or parties concerned, as he may deem necessary.
 - (k) Where the Chancellor calls for any documents or informations from the University, it shall be the duty of the Registrar to

- वांछित सूचना त्वरित आधार पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (ड) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति अधिनियम एवं परिनियम के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो या प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है और यदि कुलाधिपति को ऐसा प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, ऐसी स्थिति में कुलाधिपति जाँच करने के बाद वह उचित समझे तो अपने आदेश से कुलपति को पदच्युत कर सकता है।
- (ढ) कुलाधिपति के पास सन्दर्भ लम्बित रहने या किसी जाँच के दौरान कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी।
- (ण) विश्वविद्यालय में कुलपित का पद रिक्त होने तथा नियमित कुलपित की नियुक्ति सम्भव न होने पर 6 माह के लिए किसी को भी कार्यवाहक कुलपित पद पर नियुक्ति किये जाने का अधिकार कुलाधिपित को होगा।

प्रति कुलाधिपति

- 2.03 (क) अधिनियम की धारा 16 के अधीन 5 वर्ष की अविध के लिए कुलाधिपित द्वारा प्रति कुलाधिपित की नियुक्ति की जायेगी। इस अविध के समाप्त होने पर उक्त व्यक्ति भी पुनर्नियुक्ति हेतु अई माने जायेगें।
 - (ख) प्रति कुलाधिपति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जायेगा जो कुलाधिपति द्वारा लिखित रूप में उसे प्रत्यायोजित की जायेंगी।

कुलपति

- **2.04 (क)** कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, के लिए की जायेगी।
 - (ख) यदि कुलाधिपति चाहे तो कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थी की खोज के लिए एक चयन समिति गठित कर सकता है।
 - (ग) आवश्यकता पड़ने पर गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:-
 - (i) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य (अध्यक्ष)
 - (ii) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक सदस्य
 - (iii) शासी निकाय द्वारा नामित दूसरे अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त एक आचार्य
 - (घ) चयन समिति कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कुलाधिपति को तीन नामों का एक पैनल संस्तुत करेगा।

- ensure that such documents or informations are promptly made available to him.
- (I) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such enquiry as he may deem proper, by order remove the Vice-Chancellor.
- (m) The Chancellor shall have power to suspend the Vice-Chancellor during the pendency or in contemplation of any inquiry.
- (n) If any vacancy arises in the office of the Vice-Chancellor and it is not being possible to appoint a regular Vice-Chancellor by following the procedure prescribed for appointing of such Vice-chancellor, the Chancellor shall have the power to appoint a person as officiating Vice-Chancellor for a period of not beyond six months.

Pro-Chancellor

- **2.03.** (a) The Pro Chancellor shall be appointed in accordance with Section 16 of the Act for a period of five years and upon the expiry of the term he shall be eligible for re-appointment.
 - (b) Pro Chancellor shall exercise such powers as may be delegated to him in writing by the Chancellor.

Vice-Chancellor

- **2.04.** (a) Vice-Chancellor shall be appointed by Chancellor for a period of five years or until he/she attains the age of seventy years whichever is earlier.
 - (b) Vice-Chancellor shall be selected by a Search Committee to be constituted by the Chancellor if he may deem necessary.
 - (c) If the need arises a Search Committee shall be formed which shall comprise of the following members:
 - (i) One member nominated by the Chancellor. (Chairperson)
 - (ii) One member nominated by the Sponsoring Body.
 - (iii) One serving or retired Professor from outside the University nominated by the Governing Body.
 - (d) The Search Committee shall recommend a panel of three names to the Governing Body within the period stipulated by the Chancellor in his order constituting the Search Committee.

- (ड) चयन समिति द्वारा संस्तुतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त शासी निकाय पैनल पर अनुमोदन प्रदान करेगी तथा कुलाधिपति के समक्ष कुलपति की नियुक्ति हेत् प्रस्तुत करेगी।
- (च) संस्तुत नामों में से किसी के उपयुक्त न पाये जाने की दशा में कुलाधिपति चयन समिति को दूसरा पैनल तैयार करने हेतु सुझाव दे सकता है।
- (छ) कुलपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ, कार्य और कर्तव्य होंगे:--
 - (i) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखेगा तथा कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा। परिनियम, अध्यादेश और विनियम के अधीन कार्यपरिषद, सक्षम निकाय तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित करेगा।
 - (ii) कुलपति को प्राधिकृत निकाय एवं शासी निकाय के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के किसी भी बैठक में उपस्थित होने तथा उसे सम्बोधित करने का अधिकार होगा।
 - (iii) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रावधान, अधिनियम, नियमों, विधियों, अध्यादेशों और विनियमों का पूरी तरह से पालन कराए।
 - (iv) कुलपित के पास विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी या छात्र / छात्रा को अवकाश स्वीकृत करने और आवश्यक कार्यवाही / कार्रवाई करने की शिक्त होगी। उसे किसी पद पर कार्यरत व्यक्ति की अनुपिश्थित की अविध के दौरान उसके कार्यों को सम्पादित करने के लिये आवश्यक व्यवस्था करने अथवा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने का अधिकार होगा।
 - (v) कुलपित के पास प्राधिकृत निकाय और शासी निकाय के अलावा विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों / समितियों की बैठकें बुलाने का अधिकार होगा।
 - (vi) कुलपित लिखित रूप में कुलाधिपित को सम्बोधित कर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। उनका त्याग-पत्र कुलाधिपित द्वारा स्वीकृति तिथि से प्रभावी माना जायेगा।
 - (vii) कुलाधिपति के आदेशानुसार कुलपति अपने पाँच वर्ष की कार्यावधि पूर्ण होने पर नए कुलपति के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक या 70

- (e) The Governing Body shall after receipt of the recommendations of the Search Committee, approve the panel and submit it to the Chancellor for appointment of the Vice-Chancellor.
- (f) In case, none of the recommended names are found suitable by the Chancellor, the Chancellor shall advise the Search Committee to suggest a fresh panel.
- (g) The Vice-Chancellor shall have the following powers, functions and duties:
 - (i) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and Academic Officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall be the Chairperson of the Executive Council, Academic Council, Finance committee and execute the decisions of the Executive Council, other competent bodies, the State Government, provisions of the Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.
 - (*ii*) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at and address any meeting except meetings of the Empowered and Governing Bodies.
 - (iii) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the provisions of the Act, Rules, Statutes, Ordinances and Regulations of the University are duly observed.
 - (*iv*) The Vice-Chancellor shall have power to grant leave to any officer, teacher, employee or student of the University and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such persons during the period of their absence. Provided that the Vice-Chancellor may delegate such powers to any other Officer(s) of the University.
 - (v) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the various bodies/ committees of the University other than the Empowered Body and the Governing Body.
 - (vi) The Vice-Chancellor may in writing addressed to the Chancellor, resign his office, and his resignation shall be effective from the date of acceptance by the Governing Body.
 - (vii) On the expiration of the term of five year, the Vice-Chancellor shall continue to hold his office till further orders of the Chancellor or till regularly appointed Vice-

[13]

वर्ष की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद पर बने रह सकते हैं।

प्रति कुलपति

- **2.05 (क)** प्रति कुलपति की नियुक्ति कार्यपरिषद की संस्तुति पर कुलपति द्वारा की जाएगी।
 - (ख) कुलपति की अनुपस्थिति में प्रति कुलपति द्वारा कुलपति कार्यालय के सामान्य दैनन्दिन कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।

कुलसचिव

- **2.06 (क)** कुलसचिव की नियुक्ति कार्यपरिषद की संस्तुति पर कुलपित द्वारा निम्न रीति से की जाएगी
 - (i) आवेदन हेतु पद विज्ञापित किया जाएगा।
 - (ii) कार्यपरिषद द्वारा गठित तीन सदस्यीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयनित व्यक्ति के नाम की संस्तुति की जाएगी।
 - (ख) कुलसचिव पद हेतु अर्हता निम्न होगी -
 - (i) न्यूनतम स्नातक एवं समकक्ष डिग्री
 - (ii) 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र
 - (iii) किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / कार्यालय / उच्च शिक्षा के संस्थान में प्रशासकीय अथवा पर्यवेक्षक स्तर का 10 वर्ष का अनुभव।
 - (ग) कुलसचिव पद हेतु सेवा-शर्तें निम्नवत होगी -
 - (i) कुलसचिव की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष होगी।
 - (ii) सामान्य सेवा-शर्तें नियुक्ति-पत्र में उल्लिखित कर दी जाएगी।
 - (घ) कुलसचिव की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण कुलाधिपति / शासी निकाय द्वारा की जायेगी।
 - (ड) अधिनियम और अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत कुलसचिव का निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण होगा।
 - (i) विश्वविद्यालय के अधिकारियों
 - (ii) विश्वविद्यालय के शिक्षकों
 - (iii) पुस्तकालयाध्यक्ष
 - (च) कुलसचिव को अनुशासनात्मक नियंत्रण हेतु दी गयी शक्ति के तहत

Chancellor takes over office or he attains seventy years of age whichever is earlier.

Pro-Vice-Chancellor

- **2.05.** (a) Appointment of Pro Vice-Chancellor shall be done by Vice-Chancellor on the recommendation of Executive Council.
 - (b) In the absence of the Vice-Chancellor, the Pro Vice-Chancellor shall discharge the day to day duties of the office of the Vice-Chancellor.

Registrar

- **2.06.** (a) Appointment of Registrar shall be done by Vice-Chancellor on the recommendation of Executive Council as per the following procedure
 - (i) The post shall be advertised for inviting the applications.
 - (ii) Three member selection committee shall be constituted by Executive Council for the interview and on the basis of the performance in the interview the name of the person selected shall be recommended.
 - **(b)** The qualification for the post of Registrar shall be as follows:
 - (i) Graduate in any discipline or an equivalent degree.
 - (ii) Minimum age 30 years.
 - (iii) 10 years of administrative and supervisory experience in any University/Degree college/Office/any Higher Education Institution.
 - (c) Terms and Conditions of service of the Registrar shall be as follows:
 - (i) Superannuation age of Registrar shall be 65 years.
 - (ii) Normal terms and conditions of service shall be written in the appointment letter.
 - (d) The Powers and Functions of the Registrar shall be determined by the Chancellor/Governing Body.
 - (e) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, the Registrar shall have disciplinary control over all the employees of the University, other than the following -
 - (i) Officers of the University;
 - (ii) Teachers of the University;
 - (iii) The Librarian;
 - (f) The Power to take disciplinary action shall include the power to

- कर्मचारियों को निलम्बित, बर्खास्त, निष्कासन, पदावनित, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कोई दण्डात्मक कार्रवाई करने की शक्ति होगी। डण्ड 2.06 (च) के तहत निलम्बन के अतिरिक्त कर्मचारी को जाँच के बाद उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किए जाने और उन आरोपों की सुनवायी हेतु समुचित अवसर दिए जाने के बाद आरोप सिद्ध होने पर ही कार्रवाई की जा सकेगी।
- (ज) विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी, किसी आदेश से व्यथित होकर, उस पर ऐसे आदेश के तामील होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर गठित अनुशासन समिति को (कुलसचिव के माध्यम) अपील कर सकता है। ऐसे अपील पर अनुशासनात्मक समिति का निर्णय अन्तिम होगा। (ज) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगाः
 - (i) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों व सामान्य मोहर की समुचित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। वह शासी निकाय, कार्यपरिषद, विद्यापरिषद, प्रवेश समिति और विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति का पदेन सचिव होगा। विश्वविद्यालय के शिक्षकों की ऐसे सभी नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरणों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, और इन अधिकारियों के समक्ष ऐसी सभी सूचनायें प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा, जो उसके कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अधिनियमों, परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों द्वारा और आवश्यक होने पर समय—समय पर कुलाधिपति, कार्यपरिषद एवं कुलपति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।
 - (ii) कार्यपरिषद द्वारा जब तक कोई अन्यथा आदेश पारित नहीं किया जाता, कुलसचिव समस्त परिसम्पत्तियों का संरक्षक होगा।
 - (iii) सक्षम अधिकारियों के अनुमोदनोपरान्त समस्त बैठकों को बुलाये जाने हेतु सूचना का प्रसारण करना तथा संबंधित बैठकों की कार्यवृत्त को अनुरक्षित रखना ।
 - (iv) न्यायालय, कार्यपरिषद, विद्यापरिषद का आधिकारिक रूप से पत्राचार करना।
 - (v) ऐसे समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपित या विभिन्न प्राधिकरणों या निकायों जिसमें वह सचिव के रूप में कार्य करता है के आदेशों को लागू करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

- order suspension, dismissal, removal, reversion, termination or compulsory retirement of an employee referred to in the said clause or any punishment he may deem fit, and shall also include the power to suspend such employee pending inquiry, if any.
- (g) No order shall be made under clause 2.06 (e) except after an inquiry in which the employee has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges and where it is proposed after such inquiry, to impose on him any such penalty.
- (h) An employee of the University aggrieved by any order may prefer an appeal (through the Registrar) to the Disciplinary Committee constituted within fifteen days from the date of serving of such order on him. The decision of the Committee on such appeal shall be final.
- (i) Subject to the provisions of the Act, following shall be the duties of the Registrar -
 - (i) The Registrar shall be responsible for the due custody of records and the common seal of the University. He shall be the ex-officio Secretary of the Governing Body, the Executive Council, the Academic Council and the Admission Committee and every Selection Committee for the appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities all such informations as may be necessary for transaction of their business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Act, Statutes, Ordinances and Regulations, and as required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote;
 - (ii) to be the custodian of all the properties of the University unless otherwise provided for by the Executive Council;
 - (iii) to issue all notices convening meetings of the various authorities with the approval of the competent authority concerned and to keep the minutes of all such meetings;
 - (*iv*) to conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council and the Academic Council;
 - (v) to exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Chancellor, Vice-Chancellor or various authorities or bodies of the University of which he acts as secretary;

(vi) विश्वविद्यालय के विरुद्ध मुकदमों या कार्यवाही में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अधिकार—पत्र पर हस्ताक्षर करना और अभिवचनों को सत्यापित करना।

संकायाध्यक्ष

- **2.07 (क)** प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा संबंधित संकाय के प्रोफेसर एवं एसोसियेट प्रोफेसर में से चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिये वरिष्ठता क्रम में की जायेगी।
 - (ख) किसी भी अधिष्ठाता के कदाचार में दोषी पाये जाने पर अथवा अपने कार्यालयी कार्यो के सम्पादन में विफल होने पर उक्त अधिष्ठाता को हटाये जाने का अधिकार कार्यपरिषद को होगा।
 - (ग) संकायाध्यक्ष द्वारा अध्यादेश एवं विनियम में विहित की गयी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन किया जायेगा।
 - **घ)** संकायाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे:--
 - (i) संकायाध्यक्ष शिक्षण, अकादिमक गतिविधियों, छात्रों के समग्र विकास, संकाय तथा छात्रों के सेवायोजन व अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु जवाबदेह होगें।
 - (ii) संकायाध्यक्ष द्वारा संकाय परिषद की समस्त बैठकों की अध्यक्षता की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संकाय परिषद के समस्त निर्णयों का अनुपालन हो।
 - (iii) संकायाध्यक्ष, संकाय की वित्तीय एवं अन्य आवश्यकताओं को कुलपति के संज्ञान में लाने हेतु जिम्मेदार होगें।
 - (iv) संकायाध्यक्ष द्वारा विभाग एवं संकाय के पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा सम्पत्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखने हेतु आवश्यक कदम उठाया जायेगा।
 - (v) संकायाध्यक्ष को अपने संकाय की अध्ययन परिषद (बोर्ड आफ स्टडीज) की बैठकों में उपस्थित रहने तथा बोलने का अधिकार होगा।

अधिष्ठाता छात्र–कल्याण

- 2.08 (क) अधिष्ठाता छात्र-कल्याण की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा की जायेगी।
 - (ख) अधिष्ठाता छात्र—कल्याण की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा कुलपित की संस्तुति पर विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर में

(vi) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, signs 'powers of attorney' and verify pleadings.

Deans of Faculty

- **2.07.** (a) Dean of every Faculty shall be appointed by the Executive Council from amongst the Professors/Associate Professors of the concerned Faculty for a term of three years on the basis of seniority by rotation.
 - (b) The Executive Council shall have power to remove the Dean if he is found guilty of any misconduct or fails to perform the duties of his office.
 - (c) The Dean shall exercise such other powers and discharge such other functions as may be laid down by the Ordinances or Regulations.
 - (d) The Dean of the Faculty shall have the following duties and powers :
 - (i) The Dean of the Faculty shall be responsible/accountable for the performance of the faculty with respect to teaching, academic activities, overall personality development of the students, placement of the faculty students and other activities of the faculty.
 - (ii) He shall preside over all the meetings of the Board of Faculty and shall see that the various decisions of the Board are duly implemented.
 - (iii) He shall be responsible for bringing the financial and other needs of the faculty into the notice of the Vice-Chancellor.
 - (*iv*) He shall take necessary measures for the proper custody and maintenance of the departmental libraries, laboratories and other assets of the departments of the faculty.
 - (v) He shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Board of Studies pertaining to his faculty but shall have no right to vote unless he is a member thereof.

Dean of Students' Welfare

- **2.08.** (a) Dean of Students' Welfare shall be appointed by the Executive Council.
 - (b) The Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the teachers of the University, who possess teaching experience of not less than 10 years and who are not below the rank of an

- से की जायेगी। एसोसियेट प्रोफेसर की अनुपलब्धता की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक को नियुक्त कर सकता है।
- (ग) जिस शिक्षक को अधिष्ठाता छात्र—कल्याण नियुक्त किया जायेगा वह अपने मूल कार्यों यथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त अधिष्ठाता के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (घ) अधिष्ठाता छात्र—कल्याण का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा।
- (ड) अधिष्ठाता छात्र—कल्याण को सहयोग किए जाने हेतु (अध्यादेश के अनुसार) सहायक अधिष्ठाता छात्र—कल्याण नियुक्त किये जायेंगे, जो अपने मूल कर्तव्यों के अतिरिक्त इस दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (च) छात्रों की देख—भाल एवं उनके कल्याण हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों में से एक शिक्षिका को सहायक अधिष्ठाता छात्र—कल्याण नियुक्त किया जायेगा।
- (छ) अधिष्ठाता छात्र—कल्याण एवं सहायक अधिष्ठाता छात्र—कल्याण का यह कर्तव्य होगा कि वे सामान्यतया छात्रों / छात्राओं को वांछित सहयोग एवं मार्गदर्शन करें। विशेष रूप से निम्नवत कार्य, सहयोग एवं मार्गदर्शन अपेक्षित होगा
 - (i) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाना
 - (ii) उपयुक्त पाठ्यक्रम और अभिवृत्ति का चयन कराना
 - (iii) रहने हेत् आवासीय स्विधा उपलब्ध कराने में सहयोग करना
 - (iv) भोजन / मेस का प्रबन्ध कराना अथवा कराने में सहयोग करना
 - (v) चिकित्सकीय सहयोग एवं सुझाव
 - (vi) विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार यथासम्भव छात्रवृत्ति, वृत्ति, अंशकालिक रोजगार प्रदान कराना एवं अन्य आर्थिक सहायता दिलाना।
 - (vii) विद्यार्थियों को अवकाश के लिये भ्रमण तथा शैक्षिक भ्रमण की सुविधा।
 - (viii)विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन की सुविधा प्रदान कराना।
 - (ix) विश्वविद्यालय की परम्परा को बनाये रखने हेतु अकादिमक अध्ययन एवं विविध सामाजिक—सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करना।
- (ज) अधिष्ठाता छात्र—कल्याण छात्रों के किसी भी मामले में उनके अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं तथा आवश्यक होने पर उसकी सहायता कर सकते हैं।

- Associate Professor by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor. In case, an Associate Professor is not available the appointing authority may appoint any teacher of the university.
- (c) The teacher who is appointed as a Dean of Students' Welfare shall perform his duties as Dean of Students' Welfare in addition to his own duties as a teacher.
- (d) The term of office of the Dean of Students' Welfare shall be three year.
- (e) The Dean of Students Welfare shall be assisted by a set of teachers (to be selected in the manner laid down in the Ordinances), who shall perform this duty in addition to their normal duties of a teacher. The teacher so selected shall be called Assistant Dean of Students' Welfare.
- (f) One of the Assistant Dean of Students' Welfare shall be appointed from amongst the lady teachers of the University who shall look after the welfare of the girl students.
- (g) It shall be duty of the Dean of Students' Welfare and the Assistant Deans of Students' Welfare to assist generally the students in matters requiring help and guidance and in particular help and advise students and prospective students in -
 - (i) obtaining admission in the University and its courses;
 - (ii) the choice of suitable courses and hobbies;
 - (iii) finding living accommodation;
 - (iv) making messing arrangements;
 - (v) obtaining medical advice and assistance;
 - (vi) securing scholarships, stipends, part time employment and other pecuniary assistance;
 - (vii) obtaining travel facilities for holidays and educational excursions;
 - (viii) securing facilities for further studies abroad;
 - (*ix*) so conducting themselves in proper pursuit of the academic studies as to maintain the traditions of the University.
 - (x) Dean of Students' Welfare shall be incharge of Placement Cell.
- (h) The Dean of Students' Welfare may communicate with the guardian of a student in respect of any matter requiring his assistance when necessary.

निदेशक / प्राचार्य

- **2.09 (क)** विश्वविद्यालय के अंग के रूप में स्थापित संस्थान का प्रमुख निदेशक तथा कालेज का प्रमुख प्राचार्य कहलाएगा।
 - **(ख)** निदेशक / प्राचार्य कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
 - (ग) निदेशक / प्राचार्य पद की अर्हता, अवधि, सेवा की शर्तें और नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यपरिषद द्वारा नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

परीक्षा-नियंत्रक

- 2.10 (क) परीक्षा-नियंत्रक की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा की जायेगी।
 - (ख) परीक्षा—नियंत्रक पद की अर्हता, सेवा की शर्तें, नियुक्ति की प्रक्रिया आदि का निर्धारण कार्यपरिषद द्वारा किया जाएगा।
 - (ग) परीक्षा समिति का पदेन सदस्य होने के नाते परीक्षा नियंत्रक आवश्यकतानुरूप निर्णय लेगा और परीक्षा समिति द्वारा लिए गए समस्त निर्णयों का क्रियान्यवयन करेगा।
 - (घ) परीक्षा से सम्बन्धित समय—समय पर कुलपित के अन्य आदेशों / सुझावों / निर्णयों को क्रियान्वित करेगा।

मुख्य नियन्ता एवं नियन्ता

- 2.11 (क) कुलपित की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से मुख्य नियन्ता नियुक्त किया जायेगा। विश्वविद्यालय छात्रों में अनुशासन बनाये रखने हेतु कुलपित द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत मुख्य नियन्ता अपने शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
 - (ख) मुख्य नियन्ता विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखने हेतु कुलपति का सहयोग करेगा।
 - (ग) कुलपित द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अन्य उप एवं सहायक नियन्ताओं की नियुक्ति की जा सकती है।
 - (घ) कार्यपरिषद द्वारा समय—समय पर निर्धारित संख्या के अनुसार सहायक नियन्ताओं द्वारा मुख्य नियन्ता को सहयोग किया जायेगा।
 - (ङ) मुख्य नियन्ता के परामर्श पर कुलपति द्वारा सहायक नियन्ताओं की नियुक्ति की जायेगी।

Director/Principal

- **2.09.** (a) Director shall be head of an Institute and Principal shall be the head of a College, which are part of the University.
 - **(b)** The Director/Principal shall be appointed by the Executive Council.
 - (c) The qualifications, terms of office, conditions of service and procedure of appointment of the Director/Principal shall be determined by the Executive Council.

Controller of Examinations

- **2.10.** (a) The Controller of Examination shall be appointed by the Executive Council.
 - (b) The qualification, term of office, conditions of service and procedure of appointment of the Controller of Examinations shall be determined by the Executive Council.
 - (c) Being an ex-officio Secretary of Examination Committee, Controller of Examinations shall take action as required and shall implement all the decisions taken by the Examination Committee.
 - (d) He shall implement other orders/suggestions/decisions if any given by the Vice-Chancellor from time to time in connection with Examinations.

Chief Proctor

- 2.11. (a) The Chief Proctor shall be appointed from amongst the teachers of the University by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor. The Chief Proctor shall assist the Vice-Chancellor in the exercise of his disciplinary power in respect of students of the University and shall also exercise such powers and perform such duties in respect of discipline as may be assigned to him by the Vice-Chancellor on his behalf.
 - (b) The Chief Proctor shall assist the Vice-Chancellor in maintaining discipline among the students of the University.
 - (c) The Vice-Chancellor may nominate as many Deputy Proctors and Assistant Proctors as he may deem proper to assist the Chief Proctor.
 - (d) The Chief Proctor shall be assisted by Assistant Proctors whose number shall be fixed by the Executive Council from time to time.
 - (e) The Assistant Proctor shall be appointed by the Vice-Chancellor in consultation with the Proctor.

(च) मुख्य नियन्ता एवं सहायक नियन्ता का कार्यकाल एक वर्ष के लिये होगा और वे पुनर्नियुक्ति हेतु अर्ह माने जायेंगे। बशर्ते कि मुख्य नियन्ता का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कुलपित की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा उनको हटा न दिया जाये। कुलपित सहायक नियन्ता को भी उनके कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व पद से हटा सकता है।

वित्त अधिकारी

- **2.12 (क)** वित्त अधिकारी की नियुक्ति कार्यपरिषद की संस्तुति पर कुलपित द्वारा निम्न रीति से की जाएगी
 - (i) आवेदन हेतु पद विज्ञापित किया जाएगा।
 - (ii) कार्यपरिषद द्वारा गठित तीन सदस्यीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर चयनित व्यक्ति के नाम की संस्तुति की जाएगी।
 - (ख) वित्त अधिकारी पद हेतु शैक्षिक अर्हता निम्न होगी -
 - (i) न्यूनतम स्नातक वाणिज्य या समकक्ष डिग्री।
 - (ii) 30 वर्ष की न्यूनतम उम्र।
 - (iii) सम्बन्धित कार्य में अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
 - (ग) वित्त अधिकारी की सेवा-शर्तें निम्न होगी -
 - (i) वित्त अधिकारी की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष होगी।
 - (ii) सामान्य सेवा शर्तें नियुक्ति पत्र में उल्लिखित कर दी जाएगी।
 - (घ) वित्त अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके कार्यालय के दायित्व का निर्वहन कुलपित द्वारा मनोनीत किसी प्रोफेसर अथवा कुलसचिव के द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
 - (ङ) वित्त अधिकारी
 - (i) विश्वविद्यालय कोष का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।
 - (ii) किसी भी वित्तीय मामले में या तो स्वतः संज्ञानित या उसकी सलाह मांगे जाने पर सलाह दे सकता है।
 - (iii) विश्वविद्यालय की नकदी और बैंक बैलेंस की स्थिति और निवेश की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा।

(f) The Chief Proctor and the Assistant Proctors shall hold office for one year and shall be eligible for re-appointment. Every Proctor or Assistant Proctor shall continue in office till his successor is appointed. Provided further that the Executive Council may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, remove the Proctor before the expiry of the said period. Provided also that the Vice-Chancellor may remove an Assistant Proctor before the expiry of the said period.

Finance Officer

- **2.12.** (a) Appointment of Finance Officer shall be done by Vice-Chancellor on the recommendation of Executive Council as per the following procedure
 - (i) The post will be advertised for inviting the applications.
 - (ii) Three member selection committee shall be constituted by Executive Council for the interview and on the basis of the performance in the interview the name of the person selected shall be recommended.
 - **(b)** The qualification for the post of Finance Officer shall be as follows:
 - (i) Commerce Graduate or an equivalent degree.
 - (ii) Minimum age 30 years.
 - (iii) Prefrence shall be given to those who have experience in the relevent work.
 - (c) Terms and Conditions of service of the Finance Officer shall be as follows:
 - (i) Superannuation age of Finance Officer shall be 65 years.
 - (ii) Normal terms and conditions of service shall be written in the appointment letter.
 - (d) In the absence of Finance Officer the duties of his office shall be performed by one of the Professors or Registrar of the University nominated by Vice-Chancellor.
 - (e) The Finance Officer:
 - (i) shall exercise general supervision over the funds of the University;
 - (ii) may advice in any financial matter related to the University either suo moto or on his/her advise being sought;
 - (iii) shall keep a constant watch/vigil on the state of the cash and bank balances and on the state of investments of the University;

- (iv) विश्वविद्यालय की लेखा को अनुरक्षित रखने, आय को प्राप्त करने तथा भुगतान करने का कार्य करेगा।
- (v) विश्वविद्यालय के भवनों, भूमि, फर्नीचर एवं उपकरणों को अद्याविधक रूप से रिजस्टर में अनुरक्षित रखना तथा उपकरणों एवं अन्य उपभोज्य सामग्रियों की नियमित आधार पर जाँच करना एवं कराना।
- (vi) किसी भी अनिधकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को सुझाव देगा।
- (vii) अपने कर्तव्य पालन के दौरान आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से वित्तीय सूचना प्राप्त कर सकता है।
- (viii) इस सम्बन्ध में किसी स्थायी आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय लेखाओं का निरन्तर आन्तरिक संपरीक्षा की व्यवस्था करना तथा भगतान से पूर्व देयकों का पूर्व संपरीक्षा करना।
- (ix) कुलपति एवं कार्यपरिषद द्वारा प्रतिनिधानित अन्य वित्तीय प्रकरणों के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कार्य करेगा।

विभागाध्यक्ष

- **2.13 (क)** कार्यपरिषद सम्बन्धित विभाग में कार्यरत प्रोफेसर में से विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करेगी।
 - (ख) कदाचार का दोषी पाये जाने अथवा कर्तव्य पालन में विफल होने पर कुलपति की सलाह पर विभागाध्यक्ष को हटाये जाने की शक्ति कार्यपरिषद में निहित रहेगी।
 - (ग) विभागाध्यक्ष द्वारा अध्ययन परिषद की बैठकों की अध्यक्षता किया जायेगा।
 - (घ) विभागाध्यक्ष द्वारा अध्यादेश एवं विनियम द्वारा निर्धारित शक्तियों एवं कर्तव्यों का पालन किया जायेगा।
- 2.14 विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार कार्यपरिषद अन्य अधिकारियों के पद सृजन, वेतन, कार्य, दायित्व का निर्धारण कर नियुक्ति कर सकेगी।

अध्याय—3 विश्वविद्यालय के निकाय

- 3.01 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित निकाय होगें:-
 - (क) प्राधिकृत निकाय

- (*iv*) shall maintain the accounts of the University, collect the incomes and disburse the payments.
- (v) shall ensure that the registers of buildings, land, furnitures and equipments are maintained up-to-date and that stock checking of the equipments and other consumable materials is conducted regularly in the University;
- (vi) shall probe into any unauthorised expenditure and other financial irregularities and suggest to the competent authority, disciplinary action against person(s) at fault;
- (vii) may call for any finance related information from any department or unit of the University that he/she may consider necessary for the performance of his/her duties;
- (viii) shall arrange for the conduct of continuous internal audit of the accounts of the University, and shall pre-audit such bills as may be required in accordance with any standing orders in that behalf;
- (ix) shall perform such other functions in respect of financial matters as may be assigned to him by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

Heads of Department

- **2.13.** (a) Heads of Department shall be appointed by the Executive Council from amongst the Professors of the concerned Department.
 - (b) On the advice of Vice-Chancellor the Executive Council shall have power to remove the Head of the department, if he is found guilty of any misconduct or if he fails to perform the duties of his office.
 - (c) The Heads of Department shall preside over the meetings of the Board of Studies.
 - (d) The Heads of Department shall exercise such other powers and discharge such other functions as may be laid down by the Ordinances and Regulations.
- **2.14.** If required by the University Executive Council may create new posts of officers, appoint them and decide pay, terms and conditions of their services.

CHAPTER – 3 AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

- **3.01.** The following shall be the Authorities of the University:
 - (a) the Empowered Body;

- (ख) शासी निकाय
- (ग) कार्यपरिषद
- (घ) विद्यापरिषद
- (ङ) वित्त समिति
- (च) नियोजन परिषद
- (छ) संकाय परिषद
- (ज) अध्ययन परिषद
- (झ) प्रवेश समिति
- (ञ) परीक्षा समिति
- (ट) शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी.)
- (ठ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाएं।

प्राधिकृत निकाय

- **3.02 (क)** प्राधिकृत निकाय में गुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, प्रबन्ध कार्यकारिणी के साथ कुलपति एवं कुलसचिव सदस्य होंगे।
 - (ख) अधिनियम में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकृत निकाय को विश्वविद्यालय की भूमि एवं परिसम्पत्तियों को, ऋण लिये जाने के उद्देश्य से, बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में बन्धक रखने का अधिकार होगा।
 - (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्राधिकारी, शिक्षक अथवा कर्मचारी के वित्तीय अधिकार को सीमित रखने का अधिकार विश्वविद्यालय की प्राधिकृत निकाय के पास होगी।
 - (घ) प्राधिकृत निकाय को ऐसे सभी मामलों में निर्णय लेने की शक्ति होगी जो विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को विशेष रूप से प्रदान नहीं किये गये है।

शासी निकाय

- 3.03 (क) शासी निकाय का स्वरूप निम्नवत होगा:-
 - (i) कुलाधिपति अध्यक्ष
 - (ii) प्रति कुलाधिपति सदस्य
 - (iii) कुलपति सदस्य
 - (iv) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित प्रबन्ध समिति के दो सदस्य
 - (v) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक शिक्षाविद् सदस्य

- **(b)** the Governing Body;
- (c) the Executive Council;
- (d) the Academic Council;
- (e) the Finance Committee;
- (f) the Planning Board;
- (g) the Board of Faculties;
- (h) the Board of Studies;
- (i) the Admission Committee;
- (i) the Examination Committee;
- (k) Research Degree Committee (RDC);
- 1) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

Empowered Body

- **3.02.** (a) Guru Shri Gorakhnath Chitisalaya, Management Committee, Vice-Chancellor and Registrar shall constitute/form the Empowered Body.
 - (b) Empowered Body shall have power to mortgage the land or other assets of the University to any bank or other financial institutions for the purpose of availing loan as per the provisions of the Act.
 - (c) The Empowered Body of the University shall have power to determine the limits of the financial powers of any officer(s), authority, teacher or employee of the university from time to time.
 - (d) The Empowered Body shall have power to take decision in all such matters which have not been specifically conferred on any Officer or Authority of the University.

Governing Body

- **3.03.** (a) The Governing Body shall consist of following:
 - (i) The Chancellor Chairperson
 - (ii) The Pro Chancellor Member
 - (iii) The Vice-Chancellor Member
 - (*iv*) Two members to be nominated by the Sponsoring Body from management committee.
 - (v) One eminent educationist to be nominated by the Sponsoring Body.

- (vi) प्रायोजक निकाय द्वारा उद्योग / कारपोरेट क्षेत्र से नामित एक सदस्य
- (vii) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक विधि विशेषज्ञ सदस्य
- (viii) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक वित्तीय विशेषज्ञ सदस्य
- (ix) कुलसचिव पदेन सचिव
- (x) प्रायोजक निकाय को 6 अतिरिक्त व्यक्तियों को नामित करने की शक्ति होगी। परन्तु शासकीय निकाय के सदस्यों की संख्या 9 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।
- (ख) नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक होगा।
- (ग) पदेन सदस्यों का कार्यकाल उनके पद पर बने रहने तक की अवधि तक के लिए होगा।
- (घ) शासी निकाय के किसी सदस्य को हटाये जाने की शक्ति प्रायोजक निकाय को होगी।
- (ड) शासी निकाय की बैठक कुलाधिपति के निर्देश पर आयोजित की जायेगी अथवा निकाय के 4 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर कुलाधिपति द्वारा बुलाया जा सकेगा।
- (च) शासी निकाय की बैठक में विचार किये गये सभी प्रकरणों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा।
- (छ) यदि कुलाधिपति स्वयं उपस्थित हैं तो उनके द्वारा शासी निकाय के बैठक की अध्यक्षता की जायेगी। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति को नामित कर सकता है।
- (ज) कुलसचिव द्वारा बैठक की तिथि की लिखित सूचना निर्धारित तिथि के दो सप्ताह पूर्व समस्त सदस्यों को भेजी जायेगी।
- (ज्ञ) अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय की विशेष बैठक अल्प सूचना पर कभी भी बुलायी जा सकती है।
- (ञ) बैठक की लिखित सूचना विशेष वाहक, ई—मेल अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सदस्यों के कार्यालय में उपलब्ध पते पर भेजी जायेगी।
- (c) बैठक की कार्यसूची कुलसचिव द्वारा बैठक से पूर्व प्रसारित की जायेगी।
- (ठ) कार्यसूची में किसी भी मद को सम्मिलित किये जाने के लिये सूचना कुलसचिव को कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजी जानी होगी। निर्धारित समयाविध के भीतर प्राप्त न हो पाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा किसी भी मद को कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने की अनुमित दी जा सकती है।

- (*vi*) One member from the Industry/Corporate Sector to be nominated by the Sponsoring Body.
- (vii) One Legal Expert to be nominated as member by the Sponsoring Body.
- (*viii*) One Financial Expert to be nominated as member by the Sponsoring Body.
- (ix) Registrar ex-officio Secretary.
- (x) The Sponsoring Body shall have the power to nominate up to six additional persons as members of governing body.

Provided that the number of members of the Governing body shall not be less than nine and more than fifteen.

- **(b)** The term of nominated members shall be three years or till further orders.
- (c) The term of office of ex-officio members shall continue so long as they hold the office by virtue of which they are members.
- (d) The Sponsoring Body shall have power to remove any member of the Governing Body for reasons to be recorded in writing.
- (e) Meetings of the Governing Body shall be convened by the Chancellor either on his own initiative or on a requisition signed by not less than four members of the Governing Body.
- **(f)** Decisions on all issues considered in the meetings of the Governing Body shall be taken by majority votes of the members present.
- (g) The Chancellor, if present, shall preside over the meetings of the Governing Body. In his absence, the Chancellor may nominate Pro Chancellor or a member of the Governing Body.
- (h) A written notice of every meeting shall be sent by the Registrar to every member at least two weeks before the scheduled date of the meeting.
- (i) Provided that the Chairman may call a special meeting of the Governing Body at short notice to consider any urgent matter.
- (j) The notice may be delivered either by hand, e-mail or sent by registered post at the address of each member as recorded in the office.
- (k) Agenda shall be circulated by the Registrar to the members before the meeting.
- (I) Notices of motion for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least two weeks before the meeting. The Chairperson may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

- (ड) प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ढ) कुलसचिव द्वारा शासी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त शासी निकाय के समस्त सदस्यों के मध्य परिचालित किया जाएगा। कार्यवृत्त में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में शासी निकाय की आगामी बैठक में उसे पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यवृत्त की पुष्टि होने तथा उस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर होने के उपरान्त उसकी एक प्रति तैयार कर कार्यालय में शासी निकाय के सदस्यों के निरीक्षण हेतु रखा जाएगा।
- (ण) अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत प्राप्त सभी कार्य एवं शक्तियाँ शासी निकाय में निहित होंगी।
- (त) शासी निकाय अधिनियम की धारा 24 की उप धारा 3 के खण्ड (घ) के प्रावधान के अनुसार, आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के अन्य पद सुजित कर सकता है।

कार्यपरिषद

- **3.04 (क)** कुलपित कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगें :—
 - (i) शासी निकाय द्वारा नामित तीन सदस्य
 - (ii) कुलाधिपति द्वारा नामित दो प्रख्यात शिक्षाविद
 - (iii) राज्य सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी जो उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो।
 - (iv) चक्रानुक्रम व्यवस्था के अन्तर्गत वरीयताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये विश्वविद्यालय के एक आचार्य, एक सह आचार्य एवं एक सहायक आचार्य।
 - (v) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन हेतु प्रेषित / प्रस्तुत प्रख्यात शिक्षाविद् के तीन नामों की सूची में से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एक शिक्षाविद, जो सह आचार्य स्तर से कम न हो।
 - (vi) कुलसचिव पदेन सदस्य-सचिव होगा।
 - (vii) वित्त अधिकारी को कार्यपरिषद की बैठक की कार्यवाही में प्रतिभाग करने का अधिकार होगा, परन्तु वे मताधिकार के लिए अर्ह नहीं होंगे।
 - (ख) कार्यपरिषद जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठक कर सकती है, परन्तु एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार से कम नहीं होगी।
 - (ग) कार्यपरिषद की बैठक का आयोजन कुलपति के निर्देश पर किया

- (m) The ruling of the Chairperson in regard to all the questions of procedure shall be final.
- (n) The minutes of the proceedings of the Governing Body shall be drawn up by the Registrar and after the approval of the Chairman shall be circulated to all members of the Governing Body. The amendments, if any with minutes shall be placed for confirmation at the next meeting of the Governing Body. After the minutes are confirmed and signed by the Chairman, the same shall be recorded in a book of minutes which shall be kept open for inspection during office hours by the members of the Governing Body.
- (o) As per section 24 of the Act all the works/powers are enshrined with the Governing Body.
- (p) The Governing Body may, in accordance with the provisions of clause (d) to sub-section (3) of section 24 of the Act, create such other posts of officers, teachers and employees of the University to perform such functions as it may deem necessary.

Executive Council

- **3.04.** (a) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council, which shall consist of the following members, namely
 - (i) three members to be nominated by the Governing Body;
 - (ii) two eminent educationists nominated by the Chancellor;
 - (iii) one officer of the State Government not below the rank of Joint Secretary to the Government of Uttar Pradesh;
 - (iv) one Professor, one Associate Professor, one Assistant Professor of the University in order of seniority on rotation basis for a period of one year;
 - (v) one Educationist not below the rank of Associate Professor from a panel of three names to be approved by the State Government, for which the University shall submit a list of three names of eminent educationists;
 - (vi) the Registrar who shall be ex-officio Member Secretary;
 - (vii) the Finance Officer shall have right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote;
 - (b) The Executive Council shall meet as often as may be necessary but not less than twice during an Academic Year.
 - (c) Meetings of the Executive Council shall be convened by the Vice-Chancellor or on the requisition signed by not less than

- जायेगा अथवा कम से कम 4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित माँग पर कुलपति द्वारा किया जा सकेगा। कुलाधिपति के निर्देश पर कार्यपरिषद की बैठक कुलपति द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
- (घ) कुलसचिव द्वारा बैठक की तिथि, स्थान व समय की लिखित सूचना निर्धारित तिथि के दो सप्ताह पूर्व समस्त सदस्यों को भेजी जायेगी। परन्तु कुलपति द्वारा कार्यपरिषद की विशेष बैठक अल्प सूचना पर कभी भी बुलायी जा सकती है, जो आपात बैठक मानी जायेगी।
- (ड) बैठक की लिखित सूचना विशेष वाहक अथवा ई—मेल से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से सदस्यों को भेजी जायेगी।
- (च) कार्यसूची में किसी भी मद को सम्मिलित किये जाने के लिये सूचना कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजी जानी होगी। निर्धारित समयाविध के भीतर प्राप्त न हो पाने की स्थिति में कुलपित द्वारा किसी भी मद को कार्यसूची में सम्मिलित किये जाने की अनुमित दी जा सकती है।
- (छ) प्रक्रियात्मक रूप से सभी प्रश्नों से संबंधित बिन्दुओं पर कुलपति का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ज) कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद की बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जाएगा और कुलपित के अनुमोदनोपरान्त कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों के मध्य परिचालित की जायेगी। कार्यवृत्त में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में कार्यपरिषद की आगामी बैठक में वह पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत की जायेगी। कार्यवृत्त की पुष्टि होने तथा उस पर कुलपित का हस्ताक्षर होने के उपरान्त उसकी एक प्रति तैयार कर कार्यालय में कार्यपरिषद के सदस्यों के निरीक्षण हेतु रखी जायेगी।
- (झ) कार्यपरिषद का कार्यवृत्त शासी निकाय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ञ) आवश्यक होने पर कार्यपरिषद अपनी कुछ शक्तियाँ कुलपित को प्रितिनिधानित कर सकती है। हालांकि प्रतिनिधानित शक्ति के अधीन कुलपित द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करना होगा।
- (ट) कार्यपरिषद अपनी कुल सदस्यता के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारण को ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकती है जो संकल्प में निर्दिष्ट की जा सकती है।
- (ठ) अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्यपरिषद

- four members of the Executive Council or on the direction of Chancellor.
- (d) Agenda shall be circulated by the Registrar to the members atleast one week before the meeting. The circular shall state the place, date and time of the meeting; Provided that the Chairman may call a special meeting of the Executive Council at short notice to consider urgent/special matters.
- (e) The notice may be delivered either by email, by hand or by registered post at the address of each member as recorded in the office and if so sent, the same shall be deemed to have been duly delivered within the time when it ought to have been delivered in the ordinary course.
- (f) Requests for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least 10 days before the meeting. The Chairman may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.
- (g) The ruling of the Chairman in regard to all questions pertaining to procedures, shall be final.
- (h) The minutes of the proceedings of the meetings of the Executive Council shall be drawn up by the Registrar with the approval of the Chairman and shall be circulated to all members of the Executive Council. The amendments, if any, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Executive Council. After the minutes are confirmed and signed by the Chairman, the same shall be recorded in a book of minutes which shall be kept open for inspection during the office hours by the members of the Executive Council.
- (i) The minutes of the Executive Council shall be placed before the Governing Body.
- (j) The Executive Council may delegate such of its powers to the Chancellor or as it may deem appropriate.
 However, the decisions taken under delegated powers shall be reported to the Executive Council in its next meeting.
- (k) The Executive Council may, by resolution passed by a majority of its total members present, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or authority of the University subject to such conditions as may be specified in the resolution.
- (I) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, Executive Council may make/pass any ordinance(s) in the interest(s) of

विश्वविद्यालय के हित में कोई भी अध्यादेश बनाने या पारित करने का अधिकार रखती है।

विद्यापरिषद

- 3.05 (क) विद्यापरिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे:--
 - (i) कुलपति अध्यक्ष
 - (ii) प्रति कुलपति पदेन सदस्य
 - (iii) समस्त अधिष्ठाता पदेन सदस्य
 - (iv) समस्त निदेशक / प्राचार्य पदेन सदस्य
 - (v) समस्त विभागाध्यक्ष पदेन सदस्य
 - (vi) वरीयताक्रम में चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार दो सह आचार्य एवं दो सहायक आचार्य — सदस्य
 - (vii) कुलाधिपति द्वारा नामित दो विशिष्ट शिक्षाविद् सदस्य
 - (viii) कुलसचिव पदेन सचिव
 - (ख) पदेन सदस्यों का कार्यकाल उनके पद पर बने रहने तक की अवधि तक के लिए होगा। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त विद्यापरिषद के अन्य सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिये होगा।
 - (ग) विद्यापरिषद की बैठक की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :--
 - (i) विद्यापरिषद जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठक कर सकती है, परन्तु एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार से कम नहीं होगी। विद्यापरिषद की बैठक का आयोजन कुलपति के निर्देश पर किया जायेगा।
 - (ii) कुलसचिव द्वारा बैठक की तिथि, स्थान व समय की लिखित सूचना निर्धारित तिथि के दो सप्ताह पूर्व समस्त सदस्यों को भेजी जायेगी। परन्तु कुलपित द्वारा विद्यापरिषद की विशेष बैठक अल्प सूचना पर बुलायी जा सकती है, जो आपात बैठक मानी जायेगी।
 - (iii) बैठक की कार्यसूची कम से कम एक सप्ताह पूर्व कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को प्रेषित की जायेगी।
 - (iv) विद्यापरिषद की बैठक में विचार—विमर्श के दौरान सभी बिन्दुओं पर निर्णय परिषद के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा।
 - (घ) आपात स्थिति में कुलपति विद्यापरिषद की शक्तियों का उपयोग कर

the University.

Academic Council

- **3.05.** (a) The Academic Council shall consist of the following members, namely -
 - (i) The Vice-Chancellor Chairperson;
 - (ii) The Pro Vice-Chancellor ex-officio Member
 - (iii) All Deans ex-officio Member
 - (iv) All Directors/Principals ex-officio Member
 - (v) All Heads of the Department ex-officio Member
 - (vi) Two Associate Professors and two Assistant ProfessorsMembers by rotation in order of seniority;
 - (vii) Two distinguished academicians to be nominated as members by the Chancellor;
 - (viii) The Registrar ex-officio Secretary.
 - (b) The term of office of the ex-officio members shall continue so long as they hold the office by virtue of which they are members. All members of the Academic Council, other than the ex-officio members, shall hold office for a term of two years.
 - (c) The procedure for the meetings of the Academic Council shall be as follows:
 - (i) The Academic Council shall meet as often as may be necessary but atleast once during an academic year. Meetings of the Academic Council shall be convened by the Vice-Chancellor.
 - (ii) A circular of every meeting shall be sent by the Registrar to every member at least two weeks before the scheduled date of the meeting; Provided that the Chairman may call a special meeting of the Academic Council at short notice to consider urgent matters;
 - (iii) Agenda shall be circulated by the Registrar to all the members at least one week before the meeting;
 - (*iv*) All questions considered at the meetings of the Academic Council shall be decided by a majority of the votes of the members present.
 - (d) In emergent cases, the Vice-Chancellor may exercise the powers of the Academic Council. In case, the Vice-Chancellor exercises

- सकता है। कुलपति द्वारा इस परिस्थिति में लिए गए निर्णय को विद्यापरिषद की अगली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा।
- (ङ) कुलपित के अनुमोदनोपरान्त कुलसिचव द्वारा विद्यापरिषद की बैठक का कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा और विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों के मध्य परिचालित किया जायेगा। कार्यवृत्त में किसी प्रकार के संशोधन की स्थिति में विद्यापरिषद की आगामी बैठक में वह पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत की जायेगी। कार्यवृत्त की पुष्टि होने तथा उस पर कुलपित का हस्ताक्षर होने के उपरान्त उसकी एक प्रति तैयार कर कार्यालय कार्य दिवसों में विद्यापरिषद के सदस्यों के निरीक्षण हेतु रखी जायेगी।
- (च) विद्यापरिषद की संस्तुतियाँ कार्यपरिषद के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
- (छ) अधिनियम द्वारा निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त विद्यापरिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ और कार्य हैं:--
 - (i) संकाय परिषदों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना।
 - (ii) संकाय परिषद के माध्यम से अध्ययन परिषद द्वारा प्रस्तुत विषयों / पाट्यक्रमों / प्रस्तावों पर विचार / जाँच करना एवं उस पर संस्तुति प्रदान करना तथा उन सिद्धान्तों और मानदण्डों की सिफारिश करना जिन पर परीक्षक एवं निरीक्षक की नियुक्ति कार्यपरिषद की संस्तुति से की जा सकती है।
 - (iii) विश्वविद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षापरिषद उत्तर प्रदेश के इण्टरमीिएट परीक्षा के समकक्ष दूसरे विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं के डिग्री एवं डिप्लोमा पर कार्यपरिषद को सुझाव देना।
 - (iv) विश्वविद्यालय के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा के लिए विशेष विषयों में अनुदेशक की योग्यताओं के सम्बन्ध में कार्य परिषद को सलाह देना।
 - (v) अकादिमक मामलों के सम्बन्ध में ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे सभी कार्य करना जो अधिनियम के प्रावधानों और परिनियम एवं अध्यादेश के उचित क्रियान्वयन हेत् आवश्यक हो।

- any of the powers of the Academic Council, the members shall be informed through e-mail, ex-post facto, and such decision of the Chairman shall be placed at the next meeting of the Academic Council for its ratification.
- (e) The minutes of the proceedings of the meetings of the Academic Council shall be drawn up by the Registrar with the approval of the Vice-Chancellor and circulated to all members of the Academic Council. Amendments in minutes, if any, shall be placed for confirmation at the next meeting of the Academic Council. After the minutes are confirmed and signed by the Vice-Chancellor, they shall be recorded in a book of minutes which shall be kept open for inspection during the office hours by the members of the Academic Council.
- (f) The recommendations of the Academic Council shall be placed before the Executive Council for its decision.
- (g) Subject to the provisions of the Act, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers and functions-
 - (i) to consider the proposals submitted by the Board of Faculties of the University;
 - (ii) to scrutinize and make its recommendations on proposals submitted by the Board of Studies through the Faculties in regard to the courses of study, to recommend principles and criteria on which examiners and the inspectors may be appointed, for the consideration of Executive Council;
 - (iii) to advise the Executive Council in regard to the recognition of the diplomas, degrees and Certificates of other Universities and institutions and in regard to their equivalence with the diplomas and degrees of the University and the Intermediate Examination conducted by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh;
 - (iv) to advise the Executive Council in regard to the qualifications required to be possessed by persons imparting instruction for the various degrees and diploma courses of the University;
 - (v) to perform in relation to academic matters all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of the Act, the Statutes and Ordinances.

वित्त समिति

- 3.06 (क) वित्त समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत होगा:--
 - (i) कुलपति वित्त समिति का अध्यक्ष होगा।
 - (ii) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक सदस्य
 - (iii) शासी निकाय द्वारा नामित एक सदस्य
 - (iv) कार्यपरिषद द्वारा नामित एक सदस्य
 - (v) प्रति कुलपति पदेन
 - (vi) कुलसचिव पदेन
 - (vii) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक वित्तीय विशेषज्ञ
 - (viii) वित्त अधिकारी पदेन सचिव
 - (ix) वित्त समिति द्वारा उचित समझने पर विशेष आमंत्रित विशेषज्ञ
 - (ख) पदेन सदस्यों का कार्यकाल उनके पद पर बने रहने तक की अवधि तक के लिए होगा।
 - (ग) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
 - (घ) वित्त समिति की बैठकों की प्रक्रिया इस प्रकार होगी :---
 - (i) वित्त समिति जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार बैठक कर सकती है, परन्तु एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार से कम नहीं होगी। वित्त समिति की बैठकों का आयोजन कुलपित के निर्देश पर किया जायेगा अथवा वित्त समिति के कम से कम 3 सदस्यों की लिखित माँग पर आहूत किया जायेगा।
 - (ii) वित्त अधिकारी द्वारा बैठक की तिथि की अग्रिम लिखित सूचना निर्धारित तिथि के दो सप्ताह पूर्व समस्त सदस्यों को भेजी जायेगी। परन्तु कुलपित द्वारा विशेष बैठक अल्प सूचना पर कभी भी बुलायी जा सकती है, जो आपात बैठक मानी जायेगी।
 - (iii) बैठक की कार्यसूची वित्त अधिकारी द्वारा बैठक के एक सप्ताह पूर्व परिचालित की जायेगी।
 - (iv) वित्त समिति की बैठक में विचार—विमर्श के दौरान सभी बिन्दुओं पर निर्णय समिति के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा।
 - (ङ) आपात स्थिति में कुलपित, वित्त समिति की शक्तियों का प्रयोग करेगें। यदि कुलपित द्वारा वित्त समिति की शक्तियों का प्रयोग किया जाता

Finance Committee

- **3.06.** (a) The Finance Committee shall consist of the following:
 - (i) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Finance Committee;
 - (ii) One member nominated by Sponsoring Body;
 - (iii) One member nominated by the Governing Body;
 - (iv) One member nominated by the Executive Council;
 - (v) The Pro Vice-Chancellor ex-officio;
 - (vi) The Registrar ex-officio;
 - (vii) One Financial Expert nominated by the Sponsoring Body;
 - (viii) The Finance Officer ex-officio Secretary;
 - (ix) Any special invitee whom the Finance Committee may deem fit.
 - (b) The term of office of ex-officio members shall continue so long as they hold the office by virtue of which they are members.
 - (c) In the event of absence of the Chairperson, a member nominated by Chairperson shall preside over the meeting.
 - (d) The procedure for the meetings of the Finance Committee shall be as follows:
 - (i) The Finance Committee shall meet as often as may be necessary but not less than two times during an academic year. Meetings of the Finance Committee shall be convened under the direction of the Chairperson or on a requisition signed by not less than three members of the Finance Committee;
 - (ii) A circular of every meeting shall be sent by the Finance Officer to every member at least two weeks before the date of the meeting; Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Finance Committee at short notice to consider urgent matters;
 - (iii) Agenda shall be circulated by the Finance Officer to the members at least one week before the meeting;
 - (*iv*) All querries considered at the meetings of the Finance Committee shall be decided by the majority votes of the members present.
 - (e) In emergent cases, the Vice-Chancellor may exercise the powers of the Finance Committee. In case, the Vice-Chancellor exercises any of the powers of the Finance Committee and take some decision(s), such decision(s) shall be placed at the next

- है, तो उक्त द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना वित्त समिति की आगामी बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
- (च) वित्त समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नवत होगें:—
 - (i) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण करना एवं संस्तुति देना।
 - (ii) दस लाख रुपए से अधिक की धनराशि के किसी भी क्रय एवं निर्माण के बारे में परीक्षण कर संस्तृति देना।
 - (iii) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा माँगी गयी किसी भी वित्तीय प्रकरण पर अपनी सलाह देना।
- (छ) वित्त समिति की प्रत्येक संस्तुति कार्यपरिषद के निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
- (ज) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं एवं वित्तीय आगणन को वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी और तत्पश्चात कार्यपरिषद उस पर अपना अनुमोदन प्रदान करेगी।

नियोजन परिषद

- **3.07 (क)** नियोजन परिषद के गठन का स्वरूप निम्नवत होगा कुलाधिपति, नियोजन परिषद का अध्यक्ष होगा। किसी भी बैठक की अध्यक्षता के लिए वह किसी भी सदस्य को नामित कर सकता है।
 - (ख) इस परिषद में निम्न सदस्य होंगे -
 - (i) प्रति कुलाधिपति पदेन
 - (ii) कुलपति पदेन
 - (iii) प्रति कुलपति पदेन
 - (vi) कुलाधिपति द्वारा नामित एक वास्तुविद / अभियंता
 - (v) वित्त अधिकारी पदेन
 - (vi) कुलसचिव पदेन सचिव
 - (vii) नियोजन परिषद ऐसे किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकती है, जिसको वह आवश्यक समझे।
 - (ग) (i) पदेन सदस्यों का कार्यकाल उनके उस पद पर बने रहने तक की अवधि तक के लिए होगा।
 - (ii) नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक होगा।
 - (घ) नियोजन परिषद, नियामक निकाय द्वारा मानक के अनुरूप विश्वविद्यालय का बुनियादी ढाँचा तथा अकादमिक सहायता प्रणाली को सुनिश्चित

- meeting of the Finance Committee for its ratification.
- (f) The Finance Committee shall have the following powers and functions:
 - (i) To examine and recommend the Annual Budget of the University;
 - (ii) To examine and recommend the budget for any purchase or construction exceeding Rupees Ten lakh;
 - (iii) To give its views on any financial matter solicited from it by any officer or authority of the University.
- (g) Provided that every recommendation of the Finance Committee shall be placed before the Executive Council for its decision.
- (h) The Annual Accounts and the Financial Estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for the consideration and thereafter submitted to the Executive Council for approval.

Planning Board

- **3.07.** (a) The Planning Board shall consist of the following: The Chancellor shall be Chairperson of the Planning Board. He may nominate any member of the Planning Board to preside over its meetings;
 - **(b)** Following shall be member of the Board:
 - (i) Pro Chancellor ex officio;
 - (ii) Vice-Chancellor ex officio;
 - (iii) Pro Vice-Chancellor ex officio;
 - (iv) One Architect/Engineer to be nominated by the Chancellor:
 - (v) The Finance Officer ex officio;
 - (vi) The Registrar ex-officio Secretary
 - (vii) Such other persons from whom Planning Board needs any assistance from;
 - (c) (i) The term of office of an ex-officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a member:
 - (*ii*) The term of office of nominated members shall be three years or till further orders.
 - (d) The planning Board shall advise the Executive Council to ensure that the necessary infrastructure and academic support systems are available to the University as per the norms of the

- करने हेतु कार्यपरिषद को सुझाव देगी। नियोजन परिषद इस तरह के बुनियादी ढाँचे या अकादिमक सहायता प्रणाली के लिए होने वाले संभावित व्यय का अनुमान कार्यपरिषद को दी गयी सलाह के साथ प्रदान करेगी।
- (ङ) नियोजन परिषद आवश्यकता के अनुसार कुलाधिपति के निर्देश पर अपनी बैठक कर सकता है तथा ऐसी बैठकों की प्रक्रिया स्वयं चुन सकता है।
- (च) नियोजन परिषद की बैठक की लिखित सूचना कुलसचिव द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व ई—मेल द्वारा दी जाएगी।

संकाय परिषद

- **3.08 (क)** प्रत्येक संकाय का परिषद होगा, जिसका गठन, (उसके सदस्यों के पद के कार्यकाल सिहत) उसकी शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य समय—समय पर निर्धारित किये जाते रहेंगे।
 - (ख) प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष होगा जिसे वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसरों / सह—प्रोफेसरों में से चुना जायेगा।
 - (ग) संकायाध्यक्ष, संकाय के परिषद का अध्यक्ष होगा / होगी और वह निम्न के लिए उत्तरदायी होगा / होगी —
 - (i) संकाय में सम्मिलित किए गए विभागों के अध्यापन तथा शोध कार्य का संगठन एवं संचालन।
 - (ii) संकाय के सम्बन्ध में परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक पालन।
 - **(घ)** संकाय परिषद में निम्न सदस्य होंगे
 - (i) सम्बन्धित संकाय के समस्त विभागाध्यक्ष।
 - (ii) वरीयता क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय में कार्यरत आचार्यों में से दो आचार्य।
 - (iii) वरीयता क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय में कार्यरत सह आचार्यों में से दो आचार्य।
 - (iv) कुलसचिव पदेन सचिव
 - (v) आवश्यकतानुसार दो बाह्य विषय विशेषज्ञ कुलाधिपति द्वारा नामित किए जा सकेंगे।

अध्ययन परिषद

3.09 (क) डिग्री प्रदायी प्रत्येक विभाग / संस्थान / कालेज का सम्बन्धित विषय का अध्ययन परिषद होगा।

- Regulatory Bodies; provided that the Planning Board shall provide the estimate(s) of the expenditure likely to be incurred for such infrastructure or the Academic Support systems together with its advise tendered to the Executive Council.
- (e) The Planning Board shall meet as and when needed at the direction of the Chancellor and be free to adopt its own procedure for such meetings.
- (f) Circular of the planning board meeting will be issued by the Registrar by e-mail before the scheduled date of the meeting.

Board of Faculties

- **3.08.** (a) There shall be a Board of each Faculty, the constitution, (including the term of office of its members) power and duties of the Board shall be such as may be prescribed from time to time.
 - (b) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the Professors/Associate Professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years.
 - (c) The Dean shall be the Chairperson of the Board of faculty and be responsible for -
 - (i) The organisation and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the faculty.
 - (ii) The due observence of the Statutes, ordinances and regulation relating to the faculty.
 - (d) Following shall be the members of the Board of Faculty -
 - (i) All Heads of Department of the concerned faculty.
 - (ii) On the basis of seniority two members from amongst the Professors of the faculty shall be nominated by Vice-Chancellor for a term of one year.
 - (iii) On the basis of seniority two members from amongst the Associate Professors of the faculty shall be nominated by Vice-Chancellor for a term of one year.
 - (iv) Registrar ex-officio Secretary.
 - (v) Two subject experts shall be nominated by Chancellor if he deems necessary.

Board of Studies

3.09. (a) Each degree granting Department/Institute/College shall have the Board of Studies of the respective discipline.

- (ख) कुलपति द्वारा गठित एवं कुलसचिव द्वारा अधिसूचित अध्ययन परिषद के गठन का स्वरुप निम्नवत होगा:-
 - (i) विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य अध्यक्ष
 - (ii) सम्बन्धित विभाग / संस्थान / कालेज के समस्त शिक्षक सदस्य
 - (iii) कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय का एक विषय विशेषज्ञ सदस्य
 - (iv) कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विभाग का एक पूर्व विद्यार्थी प्रतिनिधि (नये पाठ्यक्रमों के लिए अनुमन्य नहीं) सदस्य
- (ग) नामित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिये होगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / संस्थान / कालेज द्वारा कुलपित की अनुमित से अध्ययन परिषद की बैठक की रूप—रेखा तैयार की जायेगी। बैठक आवश्यकता के अनुसार कभी भी बुलायी जा सकती है, परन्तु एक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।
- (घ) अध्ययन परिषद का निम्न कार्य होगा
 - (i) राष्ट्रीय सामाजिक एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करना एवं विषियों का परीक्षा, मूल्यांकन, पाठ्यक्रमों की संरचना व अनिवार्य पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विषयों को स्वीकार करना। अपनी सभी संस्तुति को विद्यापरिषद के अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत करना।
 - (ii) नवीन शिक्षण एवं मूल्यांकन तकनीकों के लिये कार्य प्रणाली का सुझाव देना।
 - (iii) प्रश्न-पत्र बनाने हेतु परीक्षक, माडरेटर्स, बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों के नामों के पैनल पर अनुमोदन प्रदान करना।
 - (iv) विभाग / संस्थान / कालेज में शोध, अध्यापन, विस्तार एवं शैक्षणिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना।

प्रवेश समिति

- 3.10 (क) विश्वविद्यालय के प्रवेश समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत होगा:--
 - (i) कुलपति अध्यक्ष।
 - (ii) कुलपति द्वारा नामित एक समन्वयक।

- (b) The Board of Studies shall be constituted by the Vice-Chancellor and notified by the Registrar. It shall consist of
 - (i) The Heads of the Department/Director/Principal Chairperson;
 - (ii) All teachers of the respective Department/Institute/College members;
 - (iii) One outside academic expert of respective discipline nominated by the Vice-Chancellor member;
 - (*iv*) One alumni representative of respective discipline nominated by the Vice-Chancellor which shall not be applicable in case of new programmes member.
- (c) The term of the nominated members shall be of two years. The Head of respective Department/Institute/College shall draw the schedule for meeting of the Board of Studies with the approval of Vice-Chancellor. The meeting may be scheduled as and when necessary, but at least once a year.
- (d) The Board of Studies of a department in the University shall
 - (i) prepare syllabi for various courses keeping in view of the objectives, interest of the stake holders and regional/national requirement on the basis of model curriculum/evaluation scheme provided by University. The scheme of examinations and evaluation for different courses, course structure and compulsory courses as prescribed by the University will be adapted as such. However elective subjects may be decided by the Board of Studies as per core strength and regional/national/international requirements after consideration and approval of Academic Council;
 - (ii) suggest methodologies for innovative teaching and evaluation techniques;
 - (iii) approve the panel of names of examiners for appointment of Internal/External Examiners, Moderators, and Question Paper setters. These persons should possess the minimum qualifications as prescribed by Board of Studies;
 - (*iv*) coordinate research, teaching, extension and other academic activities in the Department / Institute / College.

Admission Committee

- **3.10.** (a) The Admission Committee of the University shall consist of the following:
 - (i) The Vice-Chancellor Chairperson;
 - (ii) The Co-ordinator as nominated by Vice-Chancellor.

- (iii) विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता सदस्य।
- (iv) परीक्षा नियंत्रक सदस्य।
- (v) कुलसचिव सदस्य।
- (vi) कुलपति द्वारा नामित एक छात्र प्रतिनिधि सदस्य।
- (ख) प्रवेश समिति की बैठकें समन्वयक द्वारा बुलायी जायेगी और परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों को कुलपति के अनुमोदन से समन्वयक द्वारा निष्पादित की जायेगी। सभी कार्यवृत्त समन्वयक द्वारा अनुरक्षित की जायेगी और विद्यापरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य प्रासंगिक वैधानिक नियामक निकायों के दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम एवं अध्यादेशों के प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न अकादिमक पाठ्यक्रम में प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

परीक्षा समिति

- **3.11 (क)** विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सम्पादित करने हेतु एक परीक्षा समिति होगी, जिसके गठन का स्वरूप निम्नवत होगा:—
 - (i) कुलपति परीक्षा समिति का अध्यक्ष होगा।
 - (ii) कुलपित द्वारा नामित विश्वविद्यालय के तीन वरिष्ठ शिक्षक (एक आचार्य, एक सह आचार्य एवं एक सहायक आचार्य) दो—दो वर्ष की अविध के लिए सदस्य होंगे।
 - (iii) विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता सदस्य होंगे।
 - (iv) कुलसचिव सदस्य
 - (v) परीक्षा नियंत्रक पदेन सचिव
 - (vi) कुलपित द्वारा नामित दो छात्र प्रतिनिधि (किन्तु उन बैठकों में जहाँ परीक्षा की गोपनीयता के लिए छात्र का होना उचित नहीं होगा, छात्र प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे) सदस्य
 - (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठकें एक वर्ष में कम से कम दो बार होंगी। आवश्यकतानुसार कुलपति के निर्देश पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा कभी भी बैठक बुलायी जा सकती है। समस्त बैठकों की कार्यवृत्त अनुरक्षित की जायेगी।
 - (ग) परीक्षा समिति, डिग्री, डिप्लोमा, सम्मान एवं अन्य उपाधि आदि प्रदान करने के सम्बन्ध में विद्यापरिषद को अनुशंसा करेगी।

- (iii) All Deans of the University members;
- (iv) The Controller of Examinations member;
- (v) The Registrar member;
- (vi) One students' representative as nominated by Vice-Chancellor;
- (b) The Admission Committee meeting shall be called by Coordinator and decisions taken shall be executed subject to approval of the Vice Chancellor. All minutes of such meetings shall be maintained by the Co-ordinator and shall be reported to the Academic Council for information.
- (c) Admission to the different academic programmes shall be made in accordance with the norms to be determined by the admission committee in accordance with the provisions of the Act & Ordinances of the University as per the guidelines of UGC and other relevent statutory/regulatory bodies.

Examination Committee

- **3.11.** (a) There shall be an Examination Committee in the University for looking after the affairs related to the examinations. It shall consist of the following:
 - (i) The Vice-Chancellor Chairperson
 - (ii) Three senior teachers (one Professor, one Associate Professor and one Assistance Professor) of the University nominated by the Vice-Chancellor as teacher representative for a period of two years member;
 - (iii) All the Deans Members
 - (iv) Registrar Member
 - (v) The Controller of Examination shall be the ex-officio Secretary;
 - (vi) Two students' representatives as nominated by Vice-Chancellor (student representatives shall not be allowed to attend confidencial meetings)
 - (b) The Examinations Committee shall meet at least twice in a year, however in the interest of University examination related affairs; it may be called at any time by the Controller of Examinations as per direction of the Vice-Chancellor.
 - (c) The Examination Committee will make recommendations to the Academic Council regarding conferment or grant of degrees, diplomas, honours and titles etc.

- (घ) परीक्षाओं के सुचारु संचालन हेतु विश्वविद्यालय की अवस्थापना सुविधायें और कर्मचारी परीक्षा समिति के प्रशासनिक एवं अनुशासनिक नियंत्रण में रहेंगे और आवश्यकता के अनुसार उनका उपयोग परीक्षाओं के संचालन हेतु किया जायेगा।
- (ड) परीक्षा समिति द्वारा गठित उप समिति की संस्तुतियों पर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं में अनुचित साधन का प्रयोग करने, परीक्षाओं के दौरान दुर्व्यवहार करने तथा कदाचार का दोषी पाये जाने पर किसी छात्र के परीक्षा परिणाम को निरस्त करना तथा अन्य निर्णय लेने, जैसा उचित समझें, की शक्ति परीक्षा समिति को प्राप्त होगी।
- (च) परीक्षा समिति द्वारा गठित उप समिति की संस्तुतियों पर परीक्षा समिति विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक सदस्य एवं कर्मचारी की परीक्षा से संबंधित अनुचित गतिविधियों में संलिप्त होने, परीक्षा में कदाचार का दोषी पाये जाने पर ऐसे परीक्षक तथा कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।
- (छ) परीक्षा समिति परीक्षाओं हेतु नीति तैयार करेगी।
- 3.12 विश्वविद्यालय में निम्नलिखित परिषद / समिति हो सकते हैं:--
 - (क) छात्र कल्याण परिषद
 - (ख) समन्वय परिषद
 - (ग) महिला सलाहकार परिषद
 - (घ) स्वास्थ्य, आवास तथा अनुशासन परिषद
 - (ङ) सामाजिक कार्य परिषद
 - (च) विश्वविद्यालय एथलेटिक संघ
 - (छ) बाह्य गतिविधियों सम्बन्धी परिषद
 - (ज) यौन उत्पीडन समिति
 - (झ) रैगिंग की रोकथाम समिति
 - (ञ) आन्तरिक गुणवत्ता निर्धारण प्रकोष्ठ
- **3.13 (क)** अध्यादेश के अनुसार उपर्युक्त धारा 3.12 के अन्तर्गत गठित परिषदों की शक्तियाँ, कार्य एवं गठन का स्वरुप अध्यादेश द्वारा निर्धारित होगा।
 - (ख) विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार अध्यादेश के द्वारा अन्य विभिन्न सन्दर्भों हेतु परिषद / समिति का गठन, कार्य, उनकी शक्ति का निर्धारण समय-समय कर सकता है।
 - (ग) ऐसे अन्य सभी मामले यथा अधिनियम अथवा जैसा निर्धारित किए जाए।

- (d) For smooth conduct of examinations, all the infrastructure and staff of the University shall be deemed to be under the administrative and disciplinary control of the Examination Committee and shall be utilized for the conduct of examinations.
- (e) The Examination Committee may, on the recommendations of the sub-committee constituted by it for such purposes debar an examinee from appearing in any examinations, if in the opinion of the Examinations Committee, such examinee was guilty of misbehaviour/misconduct or of using unfair means at any examination conducted by the University.
- (f) The Examination Committee may, on the recommendations of the sub-committee constituted by it for any misconduct in examination related activities, propose disciplinary action / debar an examiner / faculty member/staff of the University from the University examinations if in the opinion of the Examinations Committee, such person was found guilty of academic impropriety.
- (g) The Examinations Committee shall make policy for examinations.
- **3.12.** The University may in addition to the Board of Faculties and the Board of Studies, have the following Boards, namely:
 - (a) The Board of Student Welfare.
 - **(b)** The Board of Co-ordination.
 - (c) The Women Advisory Board.
 - (d) The Board of Health, Residence and Discipline.
 - (e) The Board of Social Works.
 - (f) The University Athletic Association.
 - (g) The Board of Extramural Activities.
 - (h) Sexual Harrasment Committee.
 - (i) Anti Ragging Committee.
 - (j) Internal Qualitity Assurance Cell (IQAC).
- **3.13.** (a) The powers, functions and the constitution of the Boards mentioned in 3.12 above shall be such as may be laid down in the Ordinances.
 - (b) University may frame/make ordinance(s) for other works related to constitution/work/power of the Council, Boards, Committees and Cells from time to time.
 - (c) All other matters, as per the Act or as may be prescribed.

अध्याय—4 विश्वविद्यालय के शिक्षक

- 4.01 (क) विश्वविद्यालय में शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी
 - (i) आचार्य / प्रोफेसर
 - (ii) सह आचार्य / एसोसिएट प्रोफेसर
 - (iii) सहायक आचार्य / असिस्टेन्ट प्रोफेसर
 - (ख) विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित वेतनमानों में पूर्णकालिक, अंशकालिक एवं अनुबन्धित आधार पर कार्यपरिषद द्वारा विभिन्न विषयों में शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जायेंगी।
 - (ग) विश्वविद्यालय में कार्यरत शोध अध्येता अथवा सहायक शोध अध्येता अंशकालिक प्राध्यापक माने जायेंगे।
- 4.02 कार्यपरिषद विद्यापरिषद के अनुमोदन पर नियुक्त कर सकेगी -
 - (क) अध्यादेश के अनुसार विशेष अनुबन्ध पर अकादिमक ख्यातिलब्ध और उत्कृष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को इमेरिटस प्रोफेसर।
 - (ख) इमेरिटस प्रोफेसर का कार्य होगा
 - (i) विशेष विषयों पर व्याख्यान देना।
 - (ii) शोध छात्रों को निर्देशित करना।
 - (iii) संकाय परिषद की बैठक के लिए अई होना। परिचर्चा में भाग लेना, परन्तु वोट का अधिकार नहीं।
 - (iv) जहाँ तक सम्भव हो विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं में अध्ययन एवं शोध की सुविधाएँ प्रदान करने की संस्तुति देना।
 - (v) सभी दीक्षांत समारोहों में भाग लेना। बशर्ते की कोई व्यक्ति केवल इमेरिटस प्रोफेसर के रूप में विभाग में आचार्य का पद धारण करने के आधार पर विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकरण या निकाय में कोई पद धारण करने के लिए पात्र नहीं होगा।
 - (ग) अध्यादेश में की गयी व्यवस्था एवं सेवा शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् द्वारा ट्यूटर, अनुदेशक अथवा शिक्षण सहायकों की नियुक्तियाँ की जायेंगी।
- **4.03** (क) विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नित हेतु न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा नियामक निकायों के अनुरूप होगी।

CHAPTER – 4 TEACHERS OF THE UNIVERSITY

- **4.01.** (a) There shall be following categories of teachers of the University:
 - (i) Professors.
 - (ii) Associate Professors.
 - (iii) Assistant Professors.
 - **(b)** Teachers of the University shall be appointed in the subjects on the regular/full time and contractual/part time basis in the scales of pay approved by the Governing body.
 - (c) Persons working as Research Fellows or as Research Assistants may be called upon to act as part-time teachers.
- **4.02.** The Executive Council may on the recommendations of the academic Council, appoint -
 - (a) Professors of academic eminence and outstanding merit on special contract in accordance with Ordinances in that behalf;
 - (b) Honorary Emeritus Professors shall --
 - (i) deliver lecturers on special subjects;
 - (ii) guide research;
 - (iii) be entitled to present in the meetings of the Board of Faculty concerned and to take part in its discussions but will not have the right of vote;
 - (iv) be provided with facilities for study and research in the libraries and laboratories of University as far as possible;
 - (v) be entitled to attend all Convocations: Provided that a person shall not merely by virtue of holding the post of Professor in Department as an Honorary Emeritus Professor, be eligible to hold any office in the University or in any Authority or Body thereof.
 - (c) Instructors/Tutors or Teaching Assistants may be appointed by the Executive Council on such terms and conditions as may be provided for in the Ordinances.
- **4.03.** (a) For the Appointment and Career Advancement Scheme/ Promotion of teaching and other non-teaching staff the minimum eligibility shall be in accordance with the University Grant Commission and Regulatory Bodies.

- (ख) विश्वविद्यालय में समस्त नियमित / अनुबन्धित / अंशकालिक शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी।
 - आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली चयन समितियाँ निम्नवत होंगी –
 - (i) कुलपति अध्यक्ष
 - (ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य
 - (iii) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन विषय विशेषज्ञ, सहायक आचार्य के लिए दो विषय विशेषज्ञ
 - (iv) सम्बन्धित संकाय / संस्था / कॉलेज के अधिष्ठाता / निदेशक / प्राचार्य
 - (v) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष यदि वे स्वयं उस पद के लिए अभ्यर्थी न हो तथा वह पद विभागाध्यक्ष के पद से उपर का न हो
 - (vi) कुलसचिव पदेन सदस्य सचिव
 - (vii) ऐसे व्यक्ति को चयन समिति का सदस्य / अध्यक्ष नहीं बनाया जायेगा जिनका कोई सम्बन्धी किसी पद के लिए आवेदन किया हो।
- (ग) चयन समिति की संस्तुतियाँ कार्यपरिषद के निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेंगी। कार्यपरिषद की संस्तुतियाँ कुलाधिपति को अन्तिम निर्णय हेतु अग्रसारित की जायेंगी।
- (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्य नियामक प्राधिकारी व निर्धारित मानक के अनुरूप शैक्षणिक पदों का विज्ञापन व्यापक प्रचार—प्रसार किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के कम से कम एक माह पूर्व राष्ट्रीय स्तर के कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेंगी तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- (ङ) शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- 4.04 (क) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक नियुक्ति के समय किये गये अनुबन्ध के अनुसार प्रत्येक समय पूर्ण सत्यिनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाये रखेगा तथा व्यावसायिक नैतिक आचार संहिता का पालन करेगा।

- (b) All regular/contractual/part-time appointments of teachers and other Academic and Administrative Staff shall be made on the recommendation of a duly constituted Selection Committee. The Selection Committee for the appointment of Professors, Associate Professors and Assistant Professors will comprise of the following:
 - (i) The Vice-Chancellor Chairperson.
 - (ii) One member nominated by the Chancellor.
 - (iii) Three subject experts to be nominated by the Chancellor for the Professors/Associate Professors and two subject experts for Assistant Professors.
 - (iv) Dean/Director/Principal of the concerned Faculty/ Institute/College.
 - (v) Head of the concerned Department provided he/she himself/herself is not a candidate or the post is not above the rank of the Head of Department.
 - (vi) The Registrar ex-officio Member Secretary.
 - (vii) A person shall not be member/Chairperson of the Selection committee if his or her relation is an applicant for the post.
- (c) Recommendations of the Selection Committee will be placed before the Executive Council for its decision. The recommendations of the Executive Council will be forwarded to the Chancellor for final decision.
- (d) Teaching positions shall be advertised in at least two leading National Dailies and the University Website as per the norms prescribed by UGC or any other Regulatory Body for wide circulation, at least one month before the last date of submission of application.
- (e) The Salary and Allowances shall be paid to the teachers and employees into their Bank Accounts.
- **4.04.** (a) All the teachers of the University shall at all times maintain absolute integrity and devotion to the duty and shall observe the Code of Professional Ethics, which shall form part of the agreement to be signed by the teacher at the time of appointment.

- (ख) नियामक प्राधिकारी / शासी निकाय द्वारा निर्धारित नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन कदाचार माना जायेगा।
- (ग) विश्वविद्यालय के शिक्षक को पदच्युत करने अथवा उनकी सेवा समाप्ति के लिए निम्नलिखित आधार होंगे —
 - (i) जानबूझ कर कर्तव्य की उपेक्षा।
 - (ii) कदाचार।
 - (iii) सेवा हेतु अनुबन्धित किसी भी शर्त का उल्लंघन।
 - (iv) विश्वविद्यालय परीक्षा से संबंधित नियमों-आदर्शों का उल्लंघन।
 - (v) नैतिक अधमता वाले अपराध का आचरण एवं दोष सिद्धि।
 - (vi) शारीरिक एवं मानसिक अयोग्यता।
 - (vii) अक्षमता
 - (viii) पद का उन्मूलन
 - (ix) किसी भी प्रकार के राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर।
- (घ) विश्वविद्यालय के एक शिक्षक को नैतिक अधमता का दोषी पाए जाने या पद के उन्मूलन के मामलों को छोड़कर खण्ड (ग) में उल्लिखित किसी भी आधार पर, सेवा से बर्खास्तगी, हटाने या समाप्त करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उक्त आरोप के सम्बन्ध में उक्त शिक्षक को संसूचित किया गया हो और उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर न दिया गया हो।
- (ड) सामान्यतया जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के दो माह के अन्दर कार्यपरिषद् संबंधित शिक्षक की सेवा से बर्खास्तगी, विश्वविद्यालय से निकालने, सेवाओं की समाप्ति समुचित आधार पर कर सकती है।
- (च) कार्यपरिषद शिक्षक को बर्खास्त करने या सेवा समाप्त करने के बजाय एक विशेष अवधि के लिए शिक्षक के वेतन को कम करके या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उसके वेतन वृद्धि को रोककर अल्प सजा देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है अथवा निलम्बन की अवधि के दौरान उक्त शिक्षक को उसके वेतन से वंचित कर सकती है।
- 4.05 कार्यपरिषद के अनुमोदन से अध्यादेशों में निर्धारित शर्तों के अधीन सेवा नियमावली बनायी जायेगी। उसमें निम्न विषय सम्मिलित होंगे —

- (b) A breach of any of the provisions of the Code of Professional Ethics prescribed by the Regulatory Bodies/Governing Body shall be deemed to be misconduct.
- (c) A teacher of the University may be removed or his services terminated on one or more of the following ground(s):
 - (i) wilful negligence of duty;
 - (ii) misconduct;
 - (iii) breach of any of the terms of contract of service;
 - (iv) dishonesty connected with University Examination;
 - (v) Scandalous conduct or conviction for an offence involving moral turpitude;
 - (vi) physical or mental unfitness;
 - (vii) incompetence;
 - (viii) abolition of the post;
 - (ix) involved in any anti-national and anti-social activity.
- (d) No order of dismissal, removal or termination of the services of a teacher of the University on any ground mentioned in clause (c) except in the case of a conviction for an offence involving moral turpitude or of abolition of post, shall be passed unless a charge has been framed against the teacher and communicated to him with a statement of the ground on which it is proposed to take action and he has been given adequate opportunity of hearing.
- (e) The Executive Council may, at any time ordinarily within two months from the date of the Inquiry Officer's report, pass a resolution dismissing or removing the teacher concerned from service or terminating his services.
- (f) The Executive Council may instead of dismissing, removing or terminating the services of the teacher, pass a resolution inflicting a lesser punishment by reducing the pay of the teacher for a specified period not exceeding three years and or by stopping increments of his salary for a specified period or may deprive the teacher of his pay during the period of his suspension, if any.
- **4.05.** (a) Subject to the conditions laid down in the Ordinances, the terms and conditions of service of the employees shall be made in the form of service rules and approved by the Executive Council. Which would generally include -

- (i) भर्ती मानदण्ड
- (ii) वरिष्ठता नीति
- (iii) कार्मिक नीति
- (iv) वेतन एवं भत्ते
- (v) यात्रा नियमावली
- (vi) अवकाश नियमावली
- (vii) कल्याण चिकित्सा तथा स्वास्थ्य बीमा को कवर करने वाली नीति
- (viii) ऋण एवं अग्रिम हेतु नीति
- (ix) आश्रित नीति
- (x) मूल्यांकन एवं कैरियर की प्रगति
- (xi) आचार-व्यवहार नीति एवं आचार संहिता
- (xii) प्रायोजित परियोजना और परामर्श नीति
- (xiii) यौन उत्पीड़न निषेध नीति
- (xiv) अनुशासन नीति
- (xv) पुरस्कार एवं दण्ड
- (xvi) सेवोपहार एवं भविष्य निधि
- (xvii) मानदेय दर एवं नियमावली

अध्याय-5

विश्वविद्यालय के कर्मचारी

- **5.01 (क)** यह अध्याय पुस्तकालय संवर्ग, अन्य कर्मचारियों तथा स्टॉफ से सम्बन्धित है।
 - (ख) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय संवर्ग, अन्य कर्मचारियों तथा स्टॉफ की सेवा के नियम एवं शर्तें अधिनियम के अनुरूप शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
 - (ग) शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन हेतु चयन समिति का गठन एवं चयन कार्यपरिषद द्वारा किया जायेगा।

पुस्तकालय संवर्ग की भर्ती पुस्तकालयाध्यक्ष

5.02 (क) सम्बन्धित विषय में पीएच.डी., प्रख्यात शोधार्थी, प्रासंगिक अनुशासन में योग्यता और उच्च गुणवत्ता के प्रकाशन—उदाहरणार्थ पुस्तकों, अनुसंधान, शोध और नीति पत्र में सक्रिय रूप से योगदान।

- (i) Recruitment norms
- (ii) Seniority policy
- (iii) Personnel policy
- (iv) Pay & Allowances
- (v) Travel Rules
- (vi) Leave Rules
- (vii) Policy covering health and well-being/medical/Insurance
- (viii) Policy on Loans and Advances
- (ix) Dependents Policy
- (x) Appraisal and Career Progression
- (xi) Ethics Policy and Code of Conduct
- (xii) Policy on Sponsored Projects and Consultancy
- (xiii) Policy on dealing with Sexual Harassment at work places
- (xiv) Discipline Policy
- (xv) Prize and Punishment
- (xvi) Gratuity and Provident Fund
- (xvii) Honorarium rates and rules

CHAPTER - 5

EMPLOYEES OF THE UNIVERSITY

- **5.01.** (a) This chapter deals with the Library Cadre, Other Employees and Staff.
 - **(b)** Terms and Conditions of service of Library Cadre, Other Employees and Staff of the University will be decided by Governing Body in-conformity with the Act.
 - (c) For the Selection of the non-teaching staff the constitution of Selection Committee shall be decided by the Executive Council.

RECRUITMENT OF LIBRARY CADRE LIBRARIAN

5.02. (a) An eminent scholar with Ph.D. qualification in the relevant discipline and published work of high quality, actively engaged in research with the evidence of published work for example books/research and policy papers.

[59]

- (ख) शैक्षिक नवाचार, सम्बन्धित नये पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के प्रारूप बनाना, तकनीक आधारित शिक्षण—प्रशिक्षण विधि में दक्षता।
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित अकादिमक प्रदर्शन संकेतक (ए.पी.आई.) एवं 'प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.ए.बी.ए.एस.)' में निर्धारित न्यूनतम अंक।

अथवा

एक उत्कृष्ट विद्वान जिन्होंने प्रासंगिक क्षेत्र में स्थापित प्रतिष्ठा के साथ सम्बन्धित विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उप पुस्तकालयाध्यक्ष

- 5.03 (क) सम्बन्धित विषय में पीएच.डी., अच्छा अकादिमक रिकार्ड।
 - (ख) कम से कम 55 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधिधारक (अथवा समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है)।
 - (ग) शैक्षिक नवाचार में योगदान, नये पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के प्रारूप बनाना, तकनीक आधारित शिक्षण—प्रशिक्षण विधि में दक्षता।
 - (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित अकादिमक प्रदर्शन संकेतक (ए.पी.आई.) एवं प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.ए.बी.ए.एस.) में निर्धारित न्युनतम अंक।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष

- 5.04 (क) अच्छे अकादिमक रिकार्ड के साथ पुस्तकालय के डिजिटलाइजेशन / कम्प्यूटराइजेशन में अच्छे ज्ञान के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंक एवं पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / डाकूमेंटेशन विज्ञान अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर (अथवा समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है)।
 - (ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो पीएच.डी. हैं, को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा / राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा / राज्य पात्रता परीक्षा की न्यूनतम अर्हता की शर्तों में छूट प्रदान की जायेगी।
 - (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता।
 - (घ) अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में कार्यपरिषद न्यूनतम अर्हता में छूट प्रदान कर सकती है।

- **(b)** Contribution to educational innovation, design of new curricula, courses and technology-mediated teaching learning process.
- (c) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) and Performance Based Appraisal System (PBAS), shall be governed by the relevant provisions of the University Grants Commission.

OR

An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant contributions to the knowledge in the concerned discipline.

DEPUTY LIBRARIAN

- **5.03.** (a) Good academic record with a Ph.D. Degree in the concerned discipline.
 - **(b)** A Masters Degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed).
 - (c) Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology-mediated teaching learning process.
 - (d) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) and Performance Based Appraisal System (PBAS) shall be governed by the relevant provisions of the University Grants Commission.

ASSISTANT LIBRARIAN

- **5.04.** (a) A Masters Degree in Library Science/information Science/Documentation Science or an equivalent professional degree with atleast 55% marks or (an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and consistently good academic record with the knowledge of computerization/digitalisation of Library.
 - **(b)** Candidates who have been awarded Ph.D. Degree shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition NET/SLET/SET.
 - (c) Candidates qualified in the national level test conducted for the purpose by the U.G.C. or any other agency approved by the U.G.C will be given preference.
 - (d) In case, candidate(s) fulfilling the minimum eligibility requirement are not available in library cadre, Executive Council may relax the minimum eligibility.

- **5.05** कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जायेगा।
- **5.06** (क) विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों का सृजन, चयन, पात्रता, अर्हता, वेतन तथा सेवा के नियम एवं शर्तों आदि के बारे में आवश्यकता के अनुरूप समय—समय पर कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
 - (ख) शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन हेतु समिति के गठन हेतु निर्णय कार्यपरिषद द्वारा लिया जायेगा।
 - (ग) यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार का आरोप है, कुलसचिव द्वारा उसकी जाँच के लिए एक जाँच समिति का गठन किया जायेगा। कुलसचिव यदि उचित समझें तो उक्त कर्मचारी को लिखित आदेश के तहत निलम्बित कर सकते हैं।
 - (घ) जाँच समिति की रिपोर्ट के आधार पर, कुलसचिव सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति की कार्रवाई करने के लिये, कदाचार की गम्भीरता के आधार पर निलम्बन की कार्रवाई का निर्णय ले सकते हैं।
 - (ड) किसी भी कर्मचारी को तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि उसके प्रकरण में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ उसे अपने प्रकरण का बचाव करने का समुचित अवसर नहीं दिया जाता है।
 - (च) किसी कर्मचारी को हटाया जाना उस तिथि से प्रभावी माना जायेगा, जिस तिथि से उसे हटाने का आदेश दिया गया है।
 - (छ) किसी कर्मचारी की नियुक्ति या सेवा के अनुबंध की शर्तों में कुछ अन्यथा उल्लेख होने के बावजूद भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शिक्षक के अलावा किसी भी कर्मचारी को हटाया जा सकता है, यदि
 - (i) वह विकृत मानसिकता का है।
 - (ii) वह एक आरोपित दिवालिया है।
 - (iii) वह किसी भी आपराधिक अपराध या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है. और
 - (iv) वह कदाचार का दोषी है।
 परन्तु विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी तब तक हटाया नहीं
 जा सकता जब तक कि कार्यपरिषद द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई
 की पृष्टि न हो जाय।
 - (v) राष्ट्र-समाज विरोधी गतिविधि में सम्मिलित होने पर।

अन्य कर्मचारी

5.07 कार्यपरिषद द्वारा आवश्यक होने पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद सृजन एवं चयन समितियों का गठन किया जायेगा।

- **5.05.** The Salary and Allowances shall be paid to the employees into their bank accounts.
- **5.06.** (a) Creation of posts, selection, eligibility/qualifications, salary and terms and conditions of service etc. of all the non-teaching staff of the University shall be decided by Executive Council from time to time as and when required.
 - **(b)** The decision for the formation of Selection Committee for selecting non-teaching staff shall be taken by Executive Council.
 - (c) Where there is an allegation of misconduct against an employee, the Registrar shall constitute an inquiry committee for the purpose. The Registrar may, if he may deem fit, by order in writing, place the employee under suspension.
 - (d) Based on the report of Inquiry Committee, the Registrar may decide course of action including suspension depending on the severity of the misconduct, for taking action to the extent of termination of services of the employee concerned.
 - (e) No employee shall be removed until he/she has been given a reasonable opportunity to defend his/her case against the action proposed to be taken.
 - (f) The removal of an employee shall take effect from the date on which the order of removal is passed.
 - (g) Notwithstanding anything contained in the terms of his/her contract of service or of his/her appointment, an employee of the University, other than a teacher, may be removed by the authority which is competent to appoint the employee if:-
 - (i) he/she is of unsound mind:
 - (ii) he/she is an under-charged insolvent;
 - (iii) he/she has been convicted by a court of law of any criminal offence or an offence involving moral turpitude;
 - (iv) he/she is otherwise guilty of misconduct.
 - (v) found indulged in antinational/antisocial activities

OTHER EMPLOYEES

5.07. The creation of posts and selection in respect of Non-teaching staff the constitution of the Selection Committee shall be decided by the Executive Council as and when required.

अध्याय—6 संकाय एवं विभाग

- 6.01 विश्वविद्यालय एक अथवा एकाधिक विभाग / संकाय के साथ प्रारम्भ होगा।
- 6.02 विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होगें—
 - (क) चिकित्सा विज्ञान
 - (ख) नर्सिंग
 - (ग) फार्मेसी
 - (घ) आयुष
 - (ङ) फिजियोथिरैपी
 - (च) सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान
 - (छ) विज्ञान
 - (ज) अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी
 - (झ) विधि
 - **(স)** কৃषি
 - (ट) शिक्षा
 - (ठ) वाणिज्य
 - **(ড)** কলা
- 6.03 कार्यपरिषद द्वारा समय—समय पर उपर्युक्त संदर्भित संकायों / विभागों को प्रारम्भ / संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त आवश्यक होने पर कार्यपरिषद अतिरिक्त संकायों / विभागों को प्रारम्भ किये जाने का निर्णय ले सकती है।
- 6.04 प्रत्येक संकाय में एक या एकाधिक विभाग हो सकते हैं।

अध्याय —7 अन्य प्राधिकरण और निकाय

- 7.01 (क) 'विश्वविद्यालय सेवा समूह' (विसेस) विश्वविद्यालय का एक प्राधिकरण होगा, जो विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र, जो विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रहता है, की समस्या और सुविधा का समाधान करेगा, अर्थात 'विश्वविद्यालय छात्रों के द्वार'।
 - (ख) विश्वविद्यालय सेवा समूह प्राधिकरण छात्रों की समस्याओं का समाधान करेगा तथा उनके कल्याण के लिए कार्य एवं उनका देखभाल करेगा, जो छात्र / छात्राएँ सामान्य सामाजिक परिवेश में विश्वविद्यालय परिसर के बाहर निवास करते हैं।

CHAPTER - 6

FACULTIES AND DEPARTMENTS

- **6.01.** University shall start with one or more than one Department/Faculty.
- **6.02.** The University shall have the following Faculties, namely Faculty of :
 - (a) Medical Sciences
 - (b) Nursing
 - (c) Pharmacy
 - (d) AYUSH
 - (e) Physiotherapy
 - (f) Allied Health Sciences
 - (g) Science
 - (h) Engineering and Technology
 - (i) Law
 - (j) Agriculture
 - (k) Education
 - (I) Commerce
 - (m) Arts
- **6.03.** Starting operation(s) of the above mentioned faculties/departments shall be decided by the Executive Council as per requirement. In addition to the above Executive Council may decide to create/start additional faculties/departments as per requirement.
- **6.04.** Each faculties shall have one or more departments.

CHAPTER - 7

OTHER AUTHORITIES AND BODIES OF THE UNIVERSITY

- **7.01.** (a) 'Vishwavidyalaya Seva Samooh' (VSS) is a body of the University which facilitates and deals with the problems if any of students of the University who reside out side the campus of the University with 'The concept of University at the door step of student.'
 - **(b)** The VSS is an authority which looks after the welfare/welbeing and addresses the problems of the University students who reside out side the campus of the University in general social ambience.

- 7.02 विश्वविद्यालय सेवा समूह प्राधिकरण के गठन का स्वरूप निम्नलिखित होगा:-
 - (i) कुलपति अध्यक्ष
 - (ii) कुलाधिपति द्वारा नामित उपाध्यक्ष
 - (iii) कुलाधिपति द्वारा नामित दो सदस्य
 - (iv) अधिष्ठाता छात्र कल्याण सदस्य
 - (v) मुख्य नियन्ता सदस्य
 - (vi) एथलेटिक संघ का अध्यक्ष सदस्य
 - (vii) राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक सदस्य
 - (viii) एन.सी.सी. अधिकारी सदस्य
 - (ix) कुलपति द्वारा नामित प्रत्येक संकाय / विभाग से एक-एक छात्र प्रतिनिधि
 - (x) विश्वविद्यालय के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी
 - (xi) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित एक सदस्य
 - (xii) शासी निकाय द्वारा नामित एक सदस्य
- 7.03 कुलाधिपति द्वारा 'विसेस' उपाध्यक्ष की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से तीन वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेश तक के लिए की जायेगी।
- **7.04** यह प्राधिकरण गोरखपुर सीमा में कार्य करेगा, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र रहते हों।
- **7.05** यह प्राधिकरण गोरखपुर सीमा के भीतर आवासित विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों के आवास, स्वास्थ्य एवं उनके कल्याण की देखभाल करेगा।
- 7.06 यह प्राधिकरण आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय परिसर के बाहर रहने वाले छात्रों के कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में अभिष्ठ उपाय करेगा। विशेष रूप से—
 - (i) प्राधिकरण के सदस्य छात्रों के आवासीय क्षेत्रों का समय—समय पर भ्रमण करेंगे तथा उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार हेतु अपनी संस्तुति प्रदान करेंगे।
 - (ii) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों का विवरण उनके पता सहित एक पंजिका में अनुरक्षित की जायेगी।
 - (iii) छात्रों को पुस्तकीय सुविधाएँ प्रदान करना।
 - (iv) परिसर से बाहर रहने वाले सभी छात्रों के बारे में प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि वे सक्रिय रूप से अपने समाजिक / सांस्कृतिक / शैक्षणिक गतिविधियों / सेवाओं में निरन्तर प्रगति करते रहें तथा जहाँ वे रह रहे हैं वहाँ के सामाजिक—सांस्कृतिक परिवेश को सुसंस्कृत करें। इस प्रकार की गतिविधियों / सेवाओं का पूर्ण ब्यौरा तैयार किया जायेगा और उसे अध्यक्ष के सूचनार्थ प्रस्तृत किया जायेगा।

- **7.02.** The VSS shall consist of the following:
 - (i) The Vice-Chancellor Chairperson.
 - (ii) The Vice-Chairperson of the VSS shall be appointed by Chancellor
 - (iii) Two members nominated by Chancellor.
 - (iv) Dean of the Student Welfare Member
 - (v) Chief Proctor Member
 - (vi) The President of the Athletic Association Member
 - (vii) Co-ordinator of the NSS Member
 - (viii) NCC Officer Member
 - (ix) One student representative from each faculty/department nominated by Vice-Chancellor.
 - (x) The Senior Medical Officer of the University.
 - (xi) One member nominated by Sponsering Body.
 - (xii) One member nominated by Governing Body.
- **7.03.** The Vice-Chairperson of the VSS shall be appointed by the Chancellor for a period of three year from amongst the teachers of the University.
- **7.04.** The VSS will work within the limits of the Gorakhpur in which students of the University reside.
- **7.05.** The VSS shall look after the residence, health and welfare of all the students of the University residing within the limits of the city.
- **7.06.** The VSS shall take the measures it may deem necessary to promote the welfare of students of the University who are not residing in campus, in particular -
 - (i) nominated member of the VSS will visit students' residence atleast once a year and will recommed means of improving physical, social, mental and economic well-being of the students;
 - (*ii*) maintain a complete register of such students of the University together with the address at which they reside and whether they reside with their parents or guardians;
 - (iii) provide for such students literary facilities;
 - (iv) committee will ensure that all the students residing outside the campus of the University are actively involved in social/cultural/educational activities/services to improve the general ambience of place where they are residing/living. A record of such activities/services will be maintained and put up to Chairperson for information.

- 7.07 अध्यादेश में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत यह प्राधिकरण छात्रों के कल्याण एवं पर्यवेक्षण तथा इनके मामलों के विनियमन के निमित्त शुल्क लागू करेगा।
- **7.08 (क)** विश्वविद्यालय के आवश्यकतानुसार अन्य प्राधिकरण एवं निकाय का गठन शासी निकाय के सुझाव पर कार्यपरिषद कर सकती है।
 - (ख) उपर्युक्त प्राधिकरण एवं निकाय का गठन, कार्य एवं शक्ति का निर्धारण कार्यपरिषद अध्यादेश के द्वारा करेगी।

अध्याय – 8 डिग्री तथा डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

- **8.01** (क) पीएच.डी. की उपाधि, डी.लिट. उपाधि, मानद उपाधि ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने साहित्य, दर्शन, कला, संगीत, चित्रकला या कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
 - (ख) पीएच.डी. की उपाधि, डी.एससी. की उपाधि, मानद उपाधि ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है, जिन्होंने विज्ञान या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में उन्नति या देश में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान के उत्थान एवं विकास के लिये पर्याप्त योगदान दिया है।
 - (ग) पीएच.डी. की उपाधि, एलएल.डी. की उपाधि, मानद उपाधि ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है, जो प्रतिष्ठित अधिवक्ता, न्यायाधीश, न्यायविद, राजनेता हैं या जिनका जनहित में उल्लेखनीय योगदान है।
- 8.02 (क) कार्यपरिषद, स्वतः संज्ञान या विद्यापरिषद से उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कुलाधिपति के सामने इस प्रस्ताव को मानद उपाधि प्रदत्त करने के लिए सम्पुष्टि हेतु रखा जायेगा बशर्ते की ऐसा कोई प्रस्ताव ऐसे व्यक्तियों के बारे में नहीं रखा जायेगा जो कि किसी प्राधिकरण अथवा निकाय का सदस्य हो।
 - (ख) कार्यपरिषद, स्वतः संज्ञान या विद्यापरिषद से उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कुलाधिपति के सामने इस प्रस्ताव को मानद उपाधि वापस लेने के लिए सम्पुष्टि हेतु रखा जायेगा।

- **7.07.** The VSS shall charge such fees as may be prescribed by Ordinances for the welfare and supervision of students and for regulating its affairs.
- **7.08.** (a) As per requirement of the University any other Authority/Body may be constituted by Executive Council on the advice of Governing Body.
 - **(b)** The Constitution, work, power of aforesaid Authority/Body shall be decided by the ordinance passed by Executive Council.

CHAPTER - 8 CONFERMENT AND WITHDRAWAL OF DEGREES AND DIPLOMAS

- **8.01.** (a) The Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.), The Degree of Doctor of letters (D.Litt.), Honoris Causa may be conferred upon such persons as have contributed substantially to the advancement of Literature, Philosophy, Arts, Music, Painting or any other subject assigned to the faculty of Arts, or for conspicuous services rendered by them to the cause of education.
 - (b) The degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.), the degree of Doctor of Science (D.Sc.) Honoris Causa, may be conferred upon such persons as have contributed substantially to the advancement of any branch of science or technology or in planning, organising or developing scientific and technological institutions in the country.
 - (c) The degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.), The degree of Doctor of Laws (LL.D.) Honoris Causa may be conferred upon the persons, who are distinguished lawyers, judges, jurists, statesmen or have noteworthy contribution to the public goods/cause.
- **8.02.** (a) The Executive Council may, *suo moto* or on the recommendation of the Academic Council by a resolution passed by a majority of its total membership and also of not less than two-third of the members present and voting, submit a proposal for the conferment of honorary degrees to the Chancellor for confirmation. Provide that no such proposal shall be submitted in respect of a person who is a member of any authority or body of the University.
 - **(b)** The Executive Council may, *suo moto* or on the recommendation of the Academic Council by a resolution passed by a majority of its total membership and also of not less than two-third of the members present and voting, submit a proposal for the withdrawal of honorary degree to the Chancellor for confirmation.

- 3.03 विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गयी डिग्री, डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट को वापस लेने की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व उक्त व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर उसकी आख्या प्राप्त करने हेतु अवसर दिया जायेगा। कुलसचिव द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को पंजीकृत डाक के माध्यम से संसूचित किया जायेगा और सम्बन्धित व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्धारित तिथि अथवा आरोप पत्र प्राप्त करने के पन्द्रह दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
- 8.04 मानद उपाधि वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- 8.05 (क) विद्यापरिषद की संस्तुति के बाद कार्यपरिषद द्वारा अध्यादेश के माध्यम से किसी संस्थान को शोध संस्थान के रूप में मान्यता दी जा सकती है, जहाँ सम्बन्धित संकाय के परिषद की सहमति के बाद शोध किया जा सकता है। सम्बन्धित संकाय परिषद की सहमति व विद्यापरिषद की संस्तुति पर कार्यपरिषद दी गई मान्यता को वापस ले सकती है।
 - (ख) शोध कार्य मान्यता प्राप्त संस्थान के निदेशक और अन्य सम्बन्धित अर्ह शिक्षकों द्वारा निर्देशित किया जा सकेगा।
 - (ग) निर्धारित अर्हताधारी कोई व्यक्ति यदि विश्वविद्यालय में शोध कार्य करना चाहता है तो संस्थान के निदेशक के माध्यम से कुलसचिव को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार के प्राप्त आवेदन पत्र को अध्यादेश के तहत गठित शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी.) के समक्ष रखा जाएगा, और समिति के अनुमोदनोपरान्त अभ्यर्थी को शोध कार्य करने की अनुमति दी जायेगी तथा उक्त हेतु अध्यादेश द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
 - (घ) अध्यादेश के द्वारा शोध उपाधि समिति का गठन, कार्य एवं शक्ति निर्धारित की जा सकेगी।

अध्याय — 9 अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्यवाही / कार्रवाई

9.01 (क) कार्यपरिषद ऐसी शर्तों के लिए जो उचित हो, एक अनुशासनात्मक सिमिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपित तथा दो अन्य मनोनीत सदस्य होंगे। बशर्ते कि यदि कार्यपरिषद इसे समीचीन समझे, तो वह विभिन्न मामलों या वर्गों या मामलों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति का गठन कर सकती है।

- **8.03.** Before taking any action for the withdrawal of any degree, diploma or certificate conferred or granted by the University, the person concerned shall be given an opportunity to explain the charges against him. The charges framed against him shall be communicated by the Registrar by registered post/e-mail and the person concerned shall be required to submit his/her explanation within fifteen days of reciept of the charges.
- **8.04.** Every proposal for the withdrawal of an honorary degree shall require previous sanction of the Chancellor.
- **8.05.** (a) An Institute may be recognised by the Executive Council as an Institute where research may be carried on after it has been recommended by the Academic Council with the concurrence of the Board of the Faculty concerned. The recognition so granted may be withdrawn by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council made with the concurrence of the Board of the Faculty concerned.
 - **(b)** Research work in a recognised Institute may be guided by the Director and other teachers of the Institute, accordingly research degrees shall be awarded by University.
 - (c) Any person having requisite qualification desirous of carrying on research work at the Institute for research degrees of the University shall make an application to the Registrar through the Director of the Institute. The applications so received shall be placed before the Research Degree Committee of the University constituted under Ordinances and if approved by the Research Degree Committee, the applicant shall be permitted to start work on payment of such fees as may be prescribed by the Ordinances.
 - (d) Constitution and working of Research Degree Committee shall be laid down by Ordinance.

CHAPTER - 9 DISCIPLINE AND DISCIPLINARY ACTION

9.01. (a) The Executive Council shall constitute, for such terms as it may deem fit, a Disciplinary Committee in the University which shall consist of the Vice-Chancellor and two other persons nominated by it, provided that if the Executive Council considers it expedient, it may constitute more than one such Committees to consider different case or classes or cases.

- (ख) किसी भी शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से सम्बन्धित यदि कोई प्रकरण लम्बित है तो वह शिक्षक अनुशासनात्मक समिति के सदस्य के रुप में कार्य नहीं करेगा।
- (ग) कार्यपरिषद किसी स्तर पर किसी प्रकरण को एक अनुशासनात्मक समिति से दूसरे अनुशासनात्मक समिति को स्थानान्तरित कर सकती है।
- 9.02 (क) अनुशासनात्मक समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें :
 - (i) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के अपील को निस्तारित करना।
 - (ii) विश्वविद्यालय के शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष / अन्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े प्रकरणों की जाँच करना।
 - (iii) उपर्युक्त संदर्भित किसी कर्मचारी को निलम्बन / दण्ड की संस्तुति करना।
 - (iv) कार्यपरिषद द्वारा समय—समय पर सौंपे गये अनुशासनात्मक प्रकरणों का निस्तारण करना।
 - (ख) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
 - (ग) अनुशासन समिति के निर्णय अथवा आख्या को कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जायेगा. जिस पर कार्यपरिषद शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेगी।
 - (घ) अनुशासन समिति के निर्णय से किसी अभियुक्त के संतुष्ट न होने की दशा में, वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है। कुलाधिपति द्वारा प्रकरण पर लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

अध्याय – 10 दीक्षान्त समारोह

- 10.01 (क) विश्वविद्यालय वर्ष में एक बार डिग्री एवं डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक उपलब्धि प्रदान करने हेतु दीक्षान्त समारोह का आयोजन करेगा। और दीक्षान्त समारोह के आयोजन की तिथि एवं समय पर निर्णय कुलाधिपति की अनुमित से कार्यपरिषद द्वारा लिया जायेगा।
 - (ख) कुलाधिपति की पुर्वानुमित से दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जायेगा।
 - (ग) विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा।
- **10.02** दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और उससे जुड़े अन्य प्रकरण अध्यादेश में प्रावधानित किये जायेंगे।

- **(b)** No teacher against whom any case involving disciplinary action is pending shall serve as a member of the Disciplinary Committee dealing with the case.
- (c) The Executive Council may at any stage transfer any case from one Disciplinary Committee to another Disciplinary Committee.
- **9.02.** (a) The functions of the Disciplinary Committee shall be as follows -
 - (i) to decide any appeal preferred by an employee of the University.
 - (ii) to hold inquiry into cases involving disciplinary action against a teacher/librarian & other staff of the University;
 - (iii) to recommend suspension/penalisation of any employee referred above.
 - (*iv*) to exercise such other powers and perform such other functions as may, from time to time, be entrusted to it by the Executive Council.
 - **(b)** In case of difference of opinion among the members of the Committee, the decision of the majority shall prevail.
 - (c) The decision or the report of the Disciplinary Committee shall be laid before Executive Council as early as possible to enable the Executive Council to take it's decision in the matter.
 - (d) In case any accused is not satisfied with the decision of the disciplinary committee, he/she can appeal to the Chancellor. In this regard the decision given by the Chancellor shall be final.

CHAPTER - 10 CONVOCATION

- **10.01.** (a) A Convocation for conferring its Degrees, Diplomas and other academic distinctions may be held by the University not more than once in a year on such date and at such time as the Executive Council may appoint with the approval of the Chancellor.
 - **(b)** Convocation may be held by the University with the prior approval of the Chancellor.
 - (c) The Convocation shall consist of the persons as decided/approved by the Executive Council of the University.
- **10.02.** The procedure to be observed at the convocation and other matters connected therewith shall be such as may be laid down in the Ordinances.

10.03 किसी कारण यदि विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह आयोजित नहीं कर पाता ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों की डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र ई-मेल अथवा उनके पते पर पंजीकृत डाक से पेषित कर दिया जाएगा।

अध्याय-11 अन्य प्रावधान

- छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक 11.01 (क) कार्रवाई किये जाने की समस्त शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी।
 - बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं. अर्थदण्ड लगा सकते हैं अथवा किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं या परीक्षा परिणाम निरस्त कर सकते हैं।
 - कुलपति अपनी समस्त या इस तरह की शक्तियों को मुख्य नियंता अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है जो वह इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे।
- कुलाधिपति / शासी समिति की अनुमित से विद्यापरिषद की सलाह पर 11.02 (क) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय परिसर में संकार्यों, विभागों, संस्थानों, कालेजों, स्कलों तथा केन्द्रों की स्थापना कर सकती है।
 - अध्यादेश में किए गये प्रावधान के अन्तर्गत विद्यापरिषद की संस्तृति पर कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों, संस्थानों. कालेजों. स्कूलों एवं केन्द्रों में किसी भी कार्यक्रमों का प्रस्ताव कर सकती है।
 - विद्यापरिषद की संस्तृति पर कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के संकाय, विभाग, संस्थान, कालेज, केन्द्र अथवा स्कूल को पूनर्गिटत कर सकती है।
 - विद्यापरिषद की सलाह पर कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के संकाय विभाग, कालेज, स्कूल या केन्द्र को निम्नलिखित आधार पर बन्द कर सकती है :
 - (i) जब ऐसे पाठ्यक्रमों को जारी रखने में विश्वविद्यालय असमर्थ हो अथवा विद्यार्थी उपलब्ध न हों।
 - (ii) इस प्रकार के पाठयक्रमों को बन्द करने के पूर्व कार्यपरिषद यह

[74]

10.03. Where the University does not find it convenient to hold the convocation in accordance with Statutes the degrees, diplomas and other academic distinctions/certificates may be despatched to the candidates concerned by e-mail/registered post on their address.

CHAPTER - 11 OTHER PROVISIONS

- All powers related to the discipline and disciplinary action in 11.01. (a) relation to the students shall be vested in the Vice-Chancellor.
 - Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may deem appropriate to him, the Vice-Chancellor may in exercise of his aforesaid powers, order that any student be expelled from the University, or be fined a sum that may be specified in the Ordinances or be debarred from taking an examination(s) for one or more years or that the results of the examination(s) in which he has appeared be cancelled/with held.
 - The Vice-Chancellor may delegate all or such of his powers, as he may deem proper, to the Chief Proctor, and to such other persons as he may specify on his behalf.
- 11.02. (a) After obtaining due approval of the Chancellor/Governing Body the Executive Council based on the advice of the Academic Council may establish Faculties, Departments, Institutes, Colleges, Schools, Centres in the campus of the University.
 - The University shall offer such programs in the Faculties, Departments, Institutes, Colleges, Schools, Centres as the Executive Council may approve on the recommendation of the Academic Council, through Ordinances.
 - The Executive Council may reconstitute a Faculty, Department, Institute, College, Centre or School on recommendation of the Academic Council.
 - The Executive Council based on the advice of the Academic Council may phase out any Faculty, Department, School or Centre based on the following:

Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur -First Statute

- (i) When the subscription to such courses becomes untenable to continue:
- (ii) Before approving such discontinuation, the Executive

सुनिश्चित करेगी कि उपलब्ध विद्यार्थी जिसमें वे पंजीकृत हैं, उसे पूरा करें।

- 11.03 अधिनियम में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या प्राधिकरण अपनी शक्तियों को किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को अपने नियंत्रण में इस शर्त के अधीन सौंप सकता है कि इस प्रकार की प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग के लिए समग्र जिम्मेदारी ऐसी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित रहेगा।
- 11.04 (क) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक अपनी वार्षिक शैक्षणिक प्रगति आख्या दो प्रतियों में तैयार करेगा। प्रगति आख्या की मूलप्रति कुलपित को सौंपी जायेगी तथा द्वितीय प्रति संबंधित शिक्षक द्वारा अनुरक्षित की जायेगी।
 - (ख) कुलपित को सौंपी जाने वाली प्रगति आख्या, विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त सम्बन्धित शिक्षक सौंपे जाने से पूर्व अपने विभाग के विभागाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करायेगा।
 - (ग) प्रगति आख्या शैक्षणिक सत्र के अन्त में सौंपी जायेगी।
- 11.05 विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के निमित्त जारी किए गये निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।
- 11.06 अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेश एवं उनमें किए गये प्रावधान की सूचना शिक्षक को दी जानी चाहिए और ऐसे शिक्षक के मुख्यालय से बाहर रहने पर, उक्त सूचना अभिलेखों में उपलब्ध उसके ई—मेल पर भेजा जा सकता है।
- 11.07 फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय अध्यादेशों में प्रावधानित नियम लागू होगें।
- 11.08 कार्यपरिषद समय—समय पर आवश्यकतानुसार परिनियम को संशोधित—संवर्धित कर उत्तर प्रदेश शासन से अनुमोदित कराकर लागू कर सकेगी।
- 11.09 विश्वविद्यालय में छात्रहित / लोकहित के लिए यदि परिनियम बनाकर तत्काल लागू करना आवश्यक हो तो कार्यपरिषद ऐसा कर सकेगी, परन्तु बाद में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन आवश्यक होगा।

Council shall ensure that the existing students in the Programs are allowed to complete their courses in which they are registered.

- 11.03. Subject to the provisions of the Act, any officer or authority of the University, may delegate his or its powers to any other officer or authority or person under his or its respective control and subject to the condition that overall responsibility for the exercise of the power so delegated shall continue to vest in the Officer or Authority delegating such powers.
- 11.04. (a) Every teacher of the University shall prepare, in duplicate his Annual Academic Progress Report. The original Report shall be lodged with the Vice-Chancellor and the copy thereof shall be retained by the teacher himself.
 - (b) The original Report shall before being lodged by teachers with the Vice-Chancellor be countersigned in the case of teachers other than the Head of a Department by the Head of the Department concerned.
 - (c) The report in respect of an academic session shall be lodged by the end of the session.
- **11.05.** Every teacher of the University shall be bound to comply the directions in connection with the examinations conducted by the University.
- **11.06.** Where, under the provisions of the Act or these Statutes or the Ordinances, a teacher is required to be served with any notice and if such teacher is not present in station, the notice may be sent to him at his e-mail available in the records.
- **11.07.** For Institutions of Fellowships, Scholarships, Studentships, Medals and Prizes the rules as provided for in the Ordinances of the University shall be applicable.
- **11.08.** Executive Council from time to time as per need of the University, is empowered to amend/add clause(s) in the Statutes and may implement it after getting due approval from the concerned authorities of Government of Uttar Pradesh.
- **11.09.** In exigencies Executive Council is empowered to make Statutes and ordinance(s) in public/students interests and take *post facto* approval from the Government of Uttar Pradesh.

[77]



